लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 फरवरी, 2016/4 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 128

अपराह्न 12.45 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.47 बजे

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 23 फरवरी, 2016 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.48 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के प्रेसीडेंट महामहिम श्री सुशील कोइराला के दु:खद निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ॰ बलराम जाखड़ के दु:खद निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने आगे आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री यशपाल सिंह; पांचवीं लोक सभा के सदस्य नुरूल हुडा, नौवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद तथा छठी और आठवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती शांति देवी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया:—

(एक) 2.1.2016 को पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में सात सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने तथा 20 अन्य लोगों के घायल हो जाने।

(दो) जम्मू-कश्मीर के सियाचीन में हिम-स्खलन के कारण भारतीय सेना के 10 सैनिकों के मारे जाने।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.57 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत 7 जनवरी, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत जारी 26 जनवरी, 2016 की उद्घोषणा, जो 26 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 105(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 26 जनवरी, 2016 के आदेश, जो 26 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 106(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रपति को प्रस्तुत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के 15 जनवरी, 2016 और 18 जनवरी, 2016 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत जारी 19 फरवरी, 2016 की उद्घोषणा जो 19 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 185(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जनवरी, 2016 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) राष्ट्रपति को प्रस्तुत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के 16 फरवरी, 2016 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.57 बजे

(लोक सभा बुधवार, 24 *फरवरी,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—4404LS(S3)—23-02-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 24 फरवरी, 2016/5 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 129

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1—5 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 6—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने सोलहवीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयकों को सभा पटल पर रखा जिसका प्रतिवेदन इससे पूर्व 30 नवम्बर, 2015 को सभा में प्रस्तुत किया गया था।

1. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015;
2. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2015;
3. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2015; और
4. चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015.

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित प्रतियां सभा पटल पर रखीं:—

1. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2015;
2. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) विधेयक, 2015;
3. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015;
4. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015;
5. परमाणुवीय ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015; और
6. बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015.

4. **प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन**

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने प्राक्कलन समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित ''अनुदानों की मांगों का युक्तियुक्तकरण'' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2015-16) का बारहवां प्रतिवेदन।

(2) पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित 'पर्यटन का विकास' विषय के बारे में पंद्रहवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति (2013-14) के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित ''गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के निक्षेपधारियों के हितों के संरक्षण का विनियामक तंत्र-सिंहावलोकन'' विषय के बारे में सोलहवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति (2014-15) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के 'वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए)' विषय के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य मंत्रणा समिति का 25 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

7. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2016 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2016 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2016 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री शान्ता कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2016 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री शान्ता कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2016 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) डॉ॰ किरीट सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2016 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) डॉ॰ किरीट सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2016 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

अपराह्न 12.09 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के चित्तौड़ गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बस्सी क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर स्लिप लेन और सर्विस रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा महान नायक तथा महाराणा प्रताप के स्वामिभक्त सहयोगी झाला मन्ना के सम्मान में स्मृति डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि के उपाय सुझाने हेतु कृषि वैज्ञानिकों का एक दल वहां भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के देवधर में रणनीतिक परियोजनाओं के विकास के बारे में।

(9) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा देश में मोबाइल टावरों से होद्वारा वाले वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्सर्जन की दर की जांच बारीकी से किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा निर्मल ग्राम के रूप में घोषित गांवों में सभी परिवारों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य राजमार्गों का उन्नय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू जिले में जपला में जवाहर नवोदय विद्यालय संख्या-2 के लिए स्थायी भवन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में आ रही गिरावट पर रोक लगाद्वारा के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील द्वारा गिरना नदी पर बांध का निर्माण किए जाद्वारा के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन स्वीकृत सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्य आरंभ किए जाद्वारा तथा विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में समेकित बाल विकास सेवा योजना के अधीन चल रहे कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम अधिकारी नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश में नलगोण्डा से मरचेला तक प्रस्तावित नई बड़ी लाइन का अलाइनमेंट बदलद्वारा को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124क में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबू द्वारा सभी जीवन बीमा प्रीमियम पर सेवाकर वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ सी॰ गोपालकृष्णन द्वारा तमिलनाडु में अतिकादाबू-अविनाशी फ्लड कैनाल स्कीम के लिए तत्काल केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) प्रो॰ सौगत राय द्वारा विश्वविद्यालयों को दखलंदाजी से संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री सुल्तान अहमद द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में क्षेत्रीय वर्नाकुलर भाषा का चुनाव करद्वारा वाले उम्मीदवारों को एककालिक उपाय के रूप में तीन अतिरिक्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्रीमती सकुंतला लागुरी द्वारा भुवनेश्वर से क्योंझर, बनासपानी और चायबासा होते हुए दिल्ली तक एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री सदाशिव लोखंडे द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव द्वारा आन्ध्र प्रदेश में गंगावरम पत्तन पर एलएनजी टर्मिनल के विकास से संबंधित कार्य शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री मोहम्मद फैज़ल द्वारा लक्षद्वीप के मछुआरों को समुचित मजदूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणवी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.20 बजे

10. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, इस बात पर सहमति हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय की घटनाओं सहित विश्वविद्यालयों के कार्यकरण से संबंधित मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा ली जाएगी। अनेक सदस्यों द्वारा की गई मांग के दृष्टिगत मैंने आज ही धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थक का भाषण समाप्त होने के पश्चात इस पर चर्चा किए जाने की अनुमति दे दी है।

चर्चा का विषय होगा—

''जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में हुई हालिया घटनाओं से उत्पन्न स्थिति।''

माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने अनुरोध किया है कि श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया उनकी ओर से चर्चा आरंभ करें। मैंने इस अनुरोध पर अपनी सहमति प्रकट की है।''

अपराह्न 12.21 बजे

11. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय	:	12 घंटे
लिया गया समय	:	1 घंटा 30 मिनट
शेष समय	:	10 घंटे 30 मिनट

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया और कहा:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत, लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 2016 को एक साथ समवेत् संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

(*लोक सभा अपराह्न* 1.09 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.17 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 2.17 बजे

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने प्रस्ताव का समर्थन किया और बोलीं।

अपराह्न 2.56 बजे

तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि अपने संशोधनों को पेश करने के इच्छुक हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां, भेज सकते हैं जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई जाएगी जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही पेश किया माना जाएगा, जिनके संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हो गई हैं।

पेश हुए माने गए संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची इसके तत्काल पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाएं।''

दो सौ ग्यारह (57—86, 89, 91—144, 150—156, 185—187, 200—227, 244—331) संशोधन पेश किए गए।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 2.57 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 59 मिनट

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जवाहर लाल नेहरू और हैदराबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में हुई हालिया घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
2. प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस
3. श्री तथागत सत्पथी

4. अरविन्द गणपत सावंत
5. श्री मुलायम सिंह यादव
6. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
7. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
8. श्री एम॰बी॰ राजेश
9. श्री वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली
10. श्री चिराग पासवान
11. श्री तारिक अनवर
12. श्री एम॰ वेंकैया नायडू
13. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
14. श्री असादुद्दीन ओवैसी
15. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
16. श्री दुष्यंत चौटाला
17. श्री कौशलेन्द्र कुमार
18. श्री महेश गिरी
19. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
20. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
21. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
22. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
23. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री राजनाथ सिंह ने वाद-विवाद में अपनी बात रखी।

चर्चा पूरी हुई।

*रात्रि 8.22 बजे

(*लोक सभा गुरुवार,* 25 फरवरी, 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

*सांय 7.53 बजे से रात्रि 8.22 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4504LS(S3)—24-02-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 2016/6 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 130

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21—25 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 26—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन और विकास योजना) नियम, 2015, जो 18 दिसमबर, 2015 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 985(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 36(अ), जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ करुणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री शांता कुमार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं का नियोजन तथा कार्यान्वयन और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रिड प्रबंधन' संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्यांक 18 पर आधारित 11वां प्रतिवेदन।

(2) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के बारे में 12वां प्रतिवेदन।

(3) 'कोल इंडिया लिमिटेड' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2014-15) के चौथे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

7. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित तीन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजूकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) के कार्यकरण' से संबंधित 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के 'उर्वरकों का संचालन तथा निगरानी प्रणाली' से संबंधित 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

8. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 24 फरवरी, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.02 बजे

बजट (रेल)

9. **श्री सुरेश प्रभु ने** रेल के संबंध में वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.18 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.18 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा सवाई माधोपुर, राजस्थान के रेलवे स्टेशन पर हम्मीर ब्रिज को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री महेश गिरी द्वारा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री राघव लखनपाल द्वारा सहारनपुर के शेख-उल-हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज का उन्नयन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के एक साथ चुनाव कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा पौराणिक नदी सरस्वती का पुनर्जीवित करने हेतु अनुसंधान कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री पी॰पी॰ चौधरी द्वारा जोधपुर, राजस्थान में बिलारा से बाड़ तक नई रेल लाइन के निर्माण को रेल बजट में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री ओम बिरला द्वारा कोटा, राजस्थान में इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को पुनर्जीवित करने हेतु निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री राजकुमार सैनी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्गों को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा डुंगरपुर और हिम्मतनगर से होते हुए उदयपुर सिटी से अहमदाबाद तक रेललाइन के आमान-परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भयंकर सूखे की स्थिति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले में लोगों को सिंचाई तथा पेयजल सुविधाएं प्रदान करने हेतु बत्तीसा नाला परियोजना को जल्द शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा विशेषतया उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा धोखाधड़ी करद्वारावाली निवेश कम्पनियों के विरुद्ध उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री राजीव सातव द्वारा भारत की संसद के सत्रों को देश के चार प्रमुख महानगरों में आयोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा देश के सरकारी बैंकों की स्थिति में सुधार करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार के मधुबनी, सुपौल, सहरसा व दरभंगा जिलों की ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क संख्या 18 का उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री एम॰ उदयकुमार द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई से पर्याप्त संख्या में एलएचबी कोचों को दक्षिण रेलवे को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. डॉ॰ के॰ कामराज द्वारा तमिलनाडु के कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अस्कालातूर (एय्यानुर), सर्वोय और कट्टुकोट्टई स्थानों पर बंद पड़े रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण तथा पुनर्संचालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा खेल नीति की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा पुणे–लोनावाला उपनगरीय रेल सेवाओं को हिंजवड़ी आईटी पार्क तथा तलेगांव–चाकण औद्योगिक क्षेत्र तक बढ़ाए जाने तथा उपनगरीय रेलवे के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री शैलेश कुमार द्वारा भागलपुर, बिहार में विश्वस्तरीय कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा तथा अन्य स्थानों पर पुरातत्वीय महत्व के स्थानों पर खुदाई कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा इलायची उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.19 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय : 1 घंटा 13 मिनट

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री डी॰ वी॰ सदानंद गौडा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री आनन्दराव अडसुल
7. श्री जैदेव गल्ला
8. श्री विनोद कुमार बोईनापल्ली
9. श्री मो॰ बद्‌रूद्दोजा खान
10. श्री कौशलेन्द्र कुमार
11. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन

12. श्री वीरेन्द्र सिंह
13. श्री मोहम्मद सलीम
14. श्री जॉर्ज बेकर
15. श्री सुल्तान अहमद
16. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

श्री डी॰ वी॰ सदानंद गौडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री डी॰ वी॰ सदानंद गौडा ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.33 बजे

12. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय	:	12 घंटे
लिया गया समय	:	4 घंटे 06 मिनट
शेष समय	:	7 घंटे 54 मिनट

24 फरवरी, 2016 को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा पेश किए गए और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 2016 को एक साथ समवेत् संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

2. श्री एम॰ वेंकैया नायडु

3. श्री पी॰ नागराजन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 7.30 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 26 *फरवरी,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*सायं 6.08 बजे से सायं 7.30 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4527LS(S3)—25-02-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016/7 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 131

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41—45 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 46—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-2016 (वाल्यूम I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे, 2014-2015 (वाल्यूम I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(i) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(iii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(iv) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 40 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(v) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(vi) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 42(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(vii) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(viii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 44(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ix) ऋण वसूली अपील अधिकरण, औरंगाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(x) ऋण वसूली अपील अधिकरण, बेंगलुरू (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 46(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xi) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, चंडीगढ़ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xii) ऋण वसूली अपील अधिकरण–दो, चंडीगढ़ (मल्टी–टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 48(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xiii) ऋण वसूली अपील अधिकरण–एक, चेन्नई (मल्टी–टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 49(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xiv) ऋण वसूली अपील अधिकरण–दो, चेन्नई (मल्टी–टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 50(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xv) ऋण वसूली अपील अधिकरण–तीन चेन्नई (मल्टी–टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xvi) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोयम्बटूर (मल्टी–टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 52(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xvii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कटक (मल्टी–टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 53(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xviii) ऋण वसूली अपील अधिकरण–एक, दिल्ली (मल्टी–टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 54(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xix) ऋण वसूली अपील अधिकरण–दो, दिल्ली (मल्टी–टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xx) ऋण वसूली अपील अधिकरण–तीन दिल्ली (मल्टी–टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxi) ऋण वसूली अपील अधिकरण, एर्णाकुलम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 57(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, गुवाहाटी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 58(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxiii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, हैदराबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 59(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxiv) ऋण वसूली अपील अधिकरण, जबलपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 60(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxv) ऋण वसूली अपील अधिकरण, जयपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 61(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxvi) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 62(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxvii) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 63(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxviii) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 64(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxix) ऋण वसूली अपील अधिकरण, लखनऊ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 65(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxx) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मदुरई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 66(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxxi) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 67(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxxii) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 68(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxxiii) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 69(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxxiv) ऋण वसूली अपील अधिकरण, नागपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 70(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxxv) ऋण वसूली अपील अधिकरण, पटना (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 71(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxxvi) ऋण वसूली अपील अधिकरण, पुणे (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 72(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxxvii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, रांची (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 73(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxxviii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, विशाखापत्तनम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2016, जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 74(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xxxix) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015, जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 957(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xl) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015, जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 958(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xli) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015, जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 959(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xlii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015, जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 960(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(xliii) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2015, जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 961(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई:—

(1)	श्री विनोद खन्ना	21.07.2015 से 13.08.2015 और 26.11.2015 से 23.12.2015
(2)	कैप्टन अमरिन्दर सिंह	06.05.2015 से 13.05.2015 21.07.2015 से 13.08.2015 और 26.11.2015 से 22.12.2015
(3)	श्री एस॰पी॰वाई॰ रेड्डी	26.11.2015 से 23.12.2015
(4)	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रदाडीया	08.05.2015 से 13.05.2015 21.07.2015 से 13.08.2015 और 26.11.2015 से 23.12.2015

(5)	श्री रामचन्द्र हाँसदा	20.04.2015 से 13.05.2015 21.07.2015 से 13.08.2015 26.11.2015 से 14.12.2015 और 15.12.2015 से 23.12.2015

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'सामान्य रक्षा बजट (मांग संख्या 20, 21 और 27) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में' रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन।

(2) 'रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21, 22 और 28) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में' रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 15वां प्रतिवेदन।

(3) 'नौसेना और वायुसेना (मांग संख्या 24 और 25) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में' रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 16वां प्रतिवेदन।

(4) 'आयुध निर्माणियां तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग संख्या 26 और 27) के बारे में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में' रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

कुमारी सुष्मिता देव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 256वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 271वां प्रतिवदेन।

(2) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 255वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 272वां प्रतिवदेन।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 273वां प्रतिवदेन।

(4) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 259वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 274वां प्रतिवदेन।

(5) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 260वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 275वां प्रतिवदेन।

(6) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 257वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 276वां प्रतिवदेन।

(7) 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015' के बारे में 277वां प्रतिवेदन।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

कुमारी सुष्मिता देव ने 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015' के बारे में समिति के 277वें प्रतिवेदन के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य सभा पटल पर रखे।

अपराह्न 12.05 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री ने 29 फरवरी, 2016 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.14 बजे

9. दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव-समय बढ़ाया जाना

श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय को बजट सत्र, 2016 के दूसरे भाग के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.21 बजे

10. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय	: 12 घंटे
लिया गया समय	: 5 घंटे 59 मिनट
शेष समय	: 6 घंटे 01 मिनट

24 फरवरी, 2016 को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा पेश किए गए और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 2016 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सुल्तान अहमद

#2. श्री भर्तृहरि महताब

*3. श्रीमती गीता कोथापल्ली

*4. श्री राजीव शंकरराव सातव

*5. श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया

*6. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*7. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*8. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

*9. डॉ॰ यशवंत सिंह

(*लोक सभा अपराह्न* 1.22 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.34 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.34 बजे

*10. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा

*11. श्री पी॰के॰ बिजू

*12. डॉ॰ थोकचोम मेन्या

13. श्री आनंदराव अडसुल

*14. श्रीमती रमा देवी

*15. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*16. श्रीमती कविता कलवकुंतला

*17. श्री पी॰पी॰ चौधरी

चर्चा पूरी नही हुई।

सभा पुन: समवेत होने के पश्चात् उन्होंने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 3.30 बजे

11. प्रस्ताव

श्री रतन लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 25 फरवरी, 2016 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव का जलवायु परिवर्तन विधेयक, 2015

(2) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव का ओडिशा राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

(3) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव का पक्ष प्रचारण के क्रियाकलापों का प्रकटीकरण विधेयक, 2015

(4) श्री प्रेम दास राय का अस्पताल-अर्जित संक्रम (निवारण, नियंत्रण और आज्ञापक रिपोर्टिंग) विधेयक, 2015

(5) श्री जैदेव गल्ला का भारत का उच्चतम न्यायालय (गुंटूर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(6) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 12 का संशोधन)

(7) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 66 का संशोधन)

(8) श्री राजेश पाण्डेय का राष्ट्रीय गन्ना किसान आयोग विधेयक, 2015

(9) श्री राजेश पाण्डेय का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2015

(10) श्री सी॰पी॰ जोशी का राजस्थान में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

(11) डॉ॰ ए॰ सम्पत भारत का उच्चतम न्यायालय (तिरूवनंतपुरम में स्थायी न्यायपीठ को स्थापना) विधेयक, 2015

(12) डॉ॰ धर्मवीर गांधी का सिख विवाह विधेयक, 2016

(13) श्री कीर्ति आजाद का अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2016

(14) श्री कीर्ति आजाद का जनसंहार अपराध का निवारण और दंड विधेयक, 2016

(15) श्री कीर्ति आजाद का मखाना उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2016

(16) श्री रवीन्द्र कुमार जेना का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 33 का संशोधन)

(17) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी का दुर्घटना प्रभावित व्यक्ति (समान प्रतिकर) विधेयक, 2016

(18) श्री गोपाल चिनय्या शेटटी का पटरी पर रहने वाले बेघर व्यक्ति (कल्याण) विधेयक, 2016

(19) श्री गोपाल चिनय्या शेटटी का महाराष्ट्र राज्य विशेष सहायता विधेयक, 2016

(20) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए भाग 4ख का अंत: स्थापन)

अपराह्न 3.44 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014

13 मार्च, 2015 को श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री देवेन्द्र सिंह (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. प्रो॰ सौगत राय
3. श्री सुनील कुमार सिंह
4. श्री जितेन्द्र चौधरी

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौडा ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 5.11 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014, *राज्य सभा द्वारा यथापारित।*

श्री बैजयंत जे पांडा द्वार पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुईं।

श्री जगदम्बिका पाल ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नही हुई।

@सायं 7.01 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 29 *फरवरी,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

@सायं 6.00 बजे से सायं 7.01 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4575LS(S3)—26-02-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 29 फरवरी, 2016/10 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 132

अपराह्न 11.00 बजे

1. बजट (सामान्य) — 2016-2017

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-2017 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.41 बजे

2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

श्री अरुण जेटली ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(1) बृहत्-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

3. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

वित्त विधेयक, 2016

अपराह्न 12.42 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 1 *मार्च,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र

महासचिव

GMGIPMRND—4618LS(S3)—29-02-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 1 मार्च, 2016/11 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 133

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 11.15 बजे पुन: समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 11.15 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—63 और 71 (62 से सम्बद्ध) के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.36 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 64 से 70 और 72 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरूम्बुदूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरूम्बुदूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दमन और दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 123 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) दमन और दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियम, 2014, जो 26 जून, 2015 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 30 (अंग्रेजी संस्करण में) तथा अधिसूचना संख्या 61 (हिन्दी संस्करण में) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दमन और दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियम, 2015 जो 26 जून, 2015 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 25 (अंग्रेजी संस्करण में) तथा 19 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या 34 (हिन्दी संस्करण में) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ का॰आ॰ 3439(अ), जो 17 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रबी, 2015-16 के दौरान घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को किए जाने वाले यूरिया के प्रदाय आदेश को इंगित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3)के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'ग' (नॉन-कम्बैटाइज्ड) पद भर्ती नियम, 2016 जो 11 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 160(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2015 जो 8 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 14(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में प्रवासी अनुसूचित जातियों के समक्ष आ रही समस्याएं—मई, 2013 के बारे में प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 26 फरवरी, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 फरवरी, 2016 को यथापारित, निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.08 बजे

5. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.12 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.00 बजे

6. सदस्य द्वारा निवेदन

डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के निवेश पर प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग द्वारा कथित प्रकटीकरण के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव प्रताप रुडी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 2.07 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

(एक) श्रीमती नीलम सोनकर ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(दो) श्री अर्जुन लाल मीणा ने राजस्थान के उदयपुर में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना जल्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(तीन) डॉ॰ मनोज राजोरिया ने देश के कपास उत्पादक किसानों के कल्याण हेतु कदम उठाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(चार) श्रीमती रमा देवी ने बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत निधियों में कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(पांच) श्री जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू और कश्मीर में विश्नाह, नौशेरा एवं पूंछ में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(छह) श्री महेश गिरी ने पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(सात) श्री हुकुम सिंह ने उत्तर प्रदेश के कैराना निर्वाचन क्षेत्र में सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(आठ) श्री सी॰आर॰ चौधरी ने राजस्थान के मकराना शहर को एएमआरयूटी की योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(नौ) श्री पी॰पी॰ चौधरी ने हिन्दी भाषा में मोबाइल एसएमएस भेजने की दर को कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(दस) श्री नाना पटोले ने देश में विशेषत: महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(ग्यारह) श्री सतीश चंद्र दुबे ने बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंडई नदी से पत्थर चुनने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(बारह) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने उत्तराखंड में हरिद्वार के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(तेरह) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा ने बारदोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुजरात में डाक भवनों की स्थिति में सुधार किए जाने और पर्याप्त डाक कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(चौदह) श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने केरल राज्य के सबरीमाला मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केरल को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(पन्द्रह) डॉ॰ शशि थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध पादप संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(सोलह) श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान ने ओडिशा सरकार को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत केन्द्रीय सहायता की बकाया राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(सत्रह) श्री अरविंद सावंत ने भारत के राष्ट्रगान में 'सिंध' शामिल किए जाने की समीक्षा तथा उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(अठारह) श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी ने तेलंगाना के किसानों से एमएसपी की दर से मक्का खरीदे जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(उन्नीस) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी ने लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस की सेवाओं का उपयोग करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इस ट्रेन के किराए को भारतीय रुपए में तय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(बीस) श्री वाई॰एस॰ अविनाश रेड्डी ने आन्ध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(इक्कीस) श्री पी॰के॰ बिजू ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि को क्षेत्र विशेष की निर्माण लागत के अनुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(बाईस) श्रीमती सुप्रिया सुले ने देश में सुगन्धित और मीठी सुपारी के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(तेईस) श्री जय प्रकाश नारायण यादव ने बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में बीएसएनएल मोबाईल टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(चौबीस) श्री नारणभाई काछड़िया ने महुवा-सूरत एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने और इसे मुम्बई तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.49 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 2 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—4669LS(S3)—01.03.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 2 मार्च, 2016/12 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 134

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81—86 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 87—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) (संशोधन) नियम, 2015 जो 23 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1001(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2015 जो 23 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1002(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) चंडीगढ़ वक्फ काउंसिल, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) चंडीगढ़ वक्फ काउंसिल, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेन्टर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*अपराह्न 12.01 बजे

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रतन लाल कटारिया ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.20 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

* अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 12.20 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

***5. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले के गुलाब कृषकों के कल्याण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री विष्णु पद राय द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दिगलीपुर और कार निकोबार में पॉलीटेक्निक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा उन परिवारों को जिन्हें एक बार शौचालय के निर्माण हेतु वित्तीय मदद दी गई थी उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ पुन: वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उत्तर प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों की बर्बादी से प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा दिए जाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 730 को 505 कि॰मी॰ से 538 कि॰मी॰ तक चौड़ा किये जाने और सुदृढ़ किये जाने का कार्य आरंभ किये जाने के बारे में।

7. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा फसल बीमा योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु राजस्व विभाग/पदाधिकारियों तथा कृषक समुदायों के बीच परस्पर प्रभावशाली बातचीत सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री विद्युत बरण महतो द्वारा जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को शीघ्र पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.36 बजे

9. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान में छोटी सादरी से होते हुए बड़ी सादरी से नीमच तक रेललाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री गोपाल शेट्टी द्वारा मुम्बई के अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने हेतु सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत विशेष छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों को परस्पर जोड़ने वाली परियोजना शुरू किए जाने और बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम में चाय बागानों के कामगारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में बिहटा और औरंगाबाद के बीच रेललाइन के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा करेंसी नोटों पर मणिपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री अधीन रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के जिलों, विशेषकर मुर्शिदाबाद जिले में आर्सेनिक संदूषण से मुक्त स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री निनोंग ईरिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में सरकार के गठन से उत्पन्न स्थिति की जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री के॰ एन॰ रामचन्द्रन द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2010 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा स्वच्छ भारत पहल का वित्तपोषण करने वाली सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत उपकर लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. प्रो॰ सौगत राय द्वारा आतंकवादी संगठनों के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा ओडिशा के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा 'बॉम्बे उच्च न्यायालय' का नाम बदलकर 'मुम्बई उच्च न्यायालय' किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राय द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा बागवानी के लिए बीमा योजना तथा फल और सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में दनियावान और बिहार शरीफ के बीच स्थित रामपुर गांव में रेलवे स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा दालों की कथित जमाखोरी तथा इनकी कृत्रिम कमी सृजित किए जाने की घटना जिसके द्वारा दालों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी के बारे में जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री जोस के॰ मणि द्वारा कृषि क्षेत्र की समस्याओं का निदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.30 बजे

6. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 1 घंटा 50 मिनट

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भर्तृहरि महताब से एयरसेल-मैक्सिस घोटाला के बारे में नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा की सूचना प्राप्त हुई है। यदि सभा सहमत हो तो मैं आज ही इस पर चर्चा की अनुमति दे सकती हूं। चर्चा का विषय 'प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के हाल ही के संयुक्त छापे में कथित धन शोधन में एयरसेल मैक्सिस की संलिप्तता पाए जाने से उत्पन्न स्थिति' होगा।

श्री भर्तृहरि महताब चर्चा आरंभ करेंगे।''

तद्नुसार, श्री भर्तृहरि महताब ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री टी॰जी॰ वैंकटेश बाबू

(*लोक सभा अपराह्न* 1.11 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.16 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

2. डॉ॰ किरीट सोमैया
3. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
4. श्री पी॰ रविन्द्र बाबू
5. श्री आनंदराव अडसुल
6. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
7. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
8. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
9. श्री दुष्यंत चौटाला
10. श्री निशिकांत दुबे
11. श्री राजेश रंजन
12. श्री भगवंत मान

श्री अरूण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

#7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कार्य मंत्रणा समिति का 26वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 3.26 बजे

8. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 11 घंटे 13 मिनट
शेष समय : 47 मिनट

24 फरवरी, 2016 को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा पेश किये गए और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

#अपराह्न 3.39 बजे

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 2016 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री नरसिम्हम थोटा
*2. श्री प्रेम दास राई
*3. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
*4. डॉ॰ तापस मंडल
*5. श्री सुनील कुमार सिंह
6. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
*7. श्री राम टहल चौधरी
*8. श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण
*9. श्री डी॰के॰ सुरेश
*10. श्री रोडमल नागर
*11. श्री आलोक संजर
*12. श्री राजेशभाई नारनभाई चूड़ासमा
13. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
*14. श्री नलिन कुमार कटील
*15. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
*16. श्री देवुसिंह जयसिंहभाई चौहान
*17. श्री राकेश सिंह
*18. श्री जैदेव गल्ला
*19. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
*20. श्री विद्युत बरण महतो

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*21. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*22. श्रीमती रक्षा निखिल खडस

*23. डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय

*24. श्री जुगल किशोर शर्मा

*25. श्री किंजरपु राम मोहन नायडु

*26. श्री ए॰टी॰ (नाना) पाटील

*27. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावित

28. श्री मोहम्मद सलीम

*29. श्रीमती संतोष अहलावत

*30. श्रीमती वी॰ सत्य बामा

*31. डॉ॰ भारती धीरूभाई शियाल

*32. श्री पी॰ कुमार

*33. श्री शरद त्रिपाठी

34. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

*35. श्री पी॰ करुणाकरन

36. श्रीमती सुप्रिया सुले

37. श्री राहुल गांधी

*38. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील

*39. श्री देवजी एम॰ पटेल

*40. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

41. श्री प्रह्लाद जोशी

*42. डॉ॰ ए॰ संपत

*43. श्री आधलराव शिवाजीराव पाटील

*44. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

*45. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

46. श्री मुलायम सिंह यादव
*47. श्रीमती रीती पाठक
*48. श्री श्रीरामुलु
*49. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
50. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
*51. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
52. श्री उपेन्द्र कुशवाहा
*53. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
*54. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
55. श्री भगवंत मान
56. श्री सिराजुद्दीन अजमल
*57. श्री शिवकुमार उदासि
58. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
59. श्री कौशलेन्द्र कुमार
60. श्री योगी आदित्यनाथ
*61. श्री केशव प्रसाद मौर्य
62. डॉ पी॰ वेणुगोपाल
*63. श्री के॰ परसुरमन
*64. डॉ॰ किरीट सोमैया
65. प्रो॰ सौगत राय
*66. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू
*67. श्री सुधीर गुप्ता
68. श्री दुष्यंत चौटाला
69. श्री विजय कुमार हांसदाक
70. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

71. श्री नेफिउ रिओ

*72. श्री राहुल कस्वां

73. श्री असादुद्दीन ओवैसी

*74 श्री अश्वनी कुमार चौबे

75. श्री रतन लाल कटारिया

76. श्री प्रेम सिंह चंदुमाजरा

77. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवन्ति)

78. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

*79. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

80. श्री आर॰के॰ मोहन भारती (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(गणपूर्ति के अभाव में लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

रात्रि 8.41 बजे

(*लोक सभा गुरुवार,* 3 *मार्च,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—4732LS(S3)—02-03-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 3 मार्च, 2016/13 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 135

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव गांधी की हत्या के दोषसिद्ध कैदियों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा लिखित पत्र जिससे देश की जनता के बीच रोष उत्पन्न हुआ है, के बारे में निवेदन किया।

*श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101—105 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 106—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

*अपराह्न 12.01 बजे

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रतिवेदन संख्या 255—निर्वाचन सुधार—मार्च, 2015

(दो) प्रतिवेदन संख्या 256—कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को दूर किया जाना—अप्रैल, 2015

(तीन) प्रतिवेदन संख्या 258—विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण—एक अध्ययन तथा प्रस्तावित संशोधन—अगस्त, 2015

(चार) प्रतिवेदन संख्या 259—आरंभिक बाल्यावस्था विकास और विधिक हकदारी—अगस्त, 2015

(पाँच) प्रतिवेदन संख्या 260—भारतीय द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रारूप मॉडल 2015 का विश्लेषण—अगस्त, 2015

(छह) प्रतिवेदन संख्या 261—पालतू जीव शालाओं तथा श्वान और एक्वेरियम मत्स्य प्रजनन को विनियमित करने की आवश्यकता—अगस्त, 2015

(सात) प्रतिवेदन संख्या 262—मृत्युदण्ड शास्ति—अगस्त, 2015

(4) (एक) ऐपेरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऐपेरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत नागर विमानन (वायुयान संक्रियाओं की रक्षा करने के लिए ऊंचाई में निर्बंधन) नियम, 2015 जो 1 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 751(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 156(अ) जो 10 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 149(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 150(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 151(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 152(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 153(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा॰का॰नि॰ 154(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(16) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458(2) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (एंटी-फाउलिंग प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2016 जो 19 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 84(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्रीमती अंजू बाला ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के 10वें प्रतिवेदन पर की-गई कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 2 मार्च, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 26वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

श्री सुरेश प्रभु ने वर्ष 2015-16 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.06 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियाँ, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लंबित (परिदान) विधेयक, 2016

अपराह्न 12.15 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को शीघ्र चार लेन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा नेपाल से निकलकर बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बहने वाली नदियों पर स्लूइस गेट (जल कपाट) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त धन आवंटित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री बहादुर सिंह कोली द्वारा राजस्थान के भरतपुर जंक्शन पर गरीब रथ एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12909/12910) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बन्द पड़ी जिला सहकारी बैंकों के लिए धनराशि जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री पी॰सी॰ मोहन द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को समुचित ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात के नमक मजदूरों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिए उचित अवसंरचना विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा सवाई माधोपुर (राजस्थान) और शिवपुर (मध्य प्रदेश) के बीच रेलमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री हरीश मीना द्वारा राजस्थान के दौसा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का पुनर्निमाण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
11. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों विशेषकर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर में स्वच्छ पेयजल की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मृदंग सम्राट नाना साहब पानसे स्मारक कार्यक्रम के लिए धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री राजीव सातव द्वारा महाराष्ट्र के लोक नृत्य, बंजारा लैंगी को बढ़ावा और संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. डॉ॰ जे॰ जयवर्धन द्वारा तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए धनराशि में केन्द्र का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री पी॰ कुमार द्वारा तिरुचिरापल्ली में ईएसआई के शाखा कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर उप-क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री तपस मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम भाग में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइलैंड एग्रीकल्चर (क्रीड़ा) का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. डॉ॰ रत्ना (नाग) डे द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोगी और चिकित्सक अनुपात में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आन्ध्र प्रदेश के श्री काकाकुल्लम में राष्ट्रीय मत्स्यिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा स्कूल के पाठ्यक्रम में आवंति बाई लोधी की जीवन कथा शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा कच्चे काजू के आयात पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.15 बजे

11. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय: 12 घंटे 50 मिनट

24 फरवरी, 2016 को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा पेश किये गए और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

''की राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 2016 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री पशुपति नाथ सिंह

2. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

3. श्री विष्णु दयाल राम

4. श्री सी॰आर॰ चौधरी
5. डॉ॰ मनोज राजोरिया
6. श्रीमती कमला पाटले
7. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
8. श्रीमती अंजू बाला
9. श्री वीरेन्द्र कश्यप
10. श्रीमती पूनमबेन माडम
11. श्री अजय मिश्रा टेनी
12. श्री जी॰ हरि
13. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन
14. श्री अर्जुन राम मेघवाल
15. श्री ओम बिरला
16. श्रीमती पूनम महाजन
17. श्रीमती रमा देवी
18. श्री सी॰पी॰ जोशी
19. श्रीमती आर॰ वनरोजा
20. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह
21. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
22. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
23. श्री अर्का केशरी देव
24. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
25. श्री अजय टम्टा
26. श्री जगदम्बिका पाल

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर पेश संशोधन सं॰ 110 पर सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में : 82; विपक्ष में : 235

तद्नुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर पेश संशोधन सं॰ 94, 95 और 96 पर सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में : 60; विपक्ष में : 242

तद्नुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री राजीव सातव द्वारा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर पेश संशोधन सं॰ 220 और 221 पर सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में : 60; विपक्ष में : 236

तद्नुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

शेष सभी संशोधन पेश किए गए, उन पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.52 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.04 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

अपराह्न 3.04 बजे

12. (एक) बजट (रेल) 2016-17 और (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल) 2016-17

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 5 घंटे 07 मिनट
शेष समय : 6 घंटे 53 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) बजट (रेल)—2016-17 पर सामान्य चर्चा; और

(दो) बजट (रेल)—2016-17 के संबंध में लेखा सं॰ 1 से 16 संबंधी अनुदानों की मांगें।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल
2. श्री राकेश सिंह
3. श्री आर॰ पार्थिपन

*4. श्री एम॰ के॰ राघवन

*5. श्री चन्द्रकांत खैरे

*6. श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी

*7. श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर

8. डॉ॰ (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार

*9. प्रो॰ रिचर्ड हे॰

*10. श्री पी॰ कुमार

*11. श्री पी॰ करुणाकरन

*12. श्री रोड़मल नागर

13. श्री बलभद्र मांझी

*14. श्री एम॰ उदय कुमार

15. श्री गजानन कीर्तिकर

*16. श्री वी॰ एलुमलाई

17. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवन्ति)

*18. श्री शंकर प्रसाद दत्ता

19. श्री भीमराव बी॰ पाटील

*20. श्रीमती वी॰ सत्य भामा

21. श्री मो॰ बदरुद्दोजा खान

*22. श्री जैदेव गल्ला

23. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी

24. श्री अशोक शंकर राव चव्हाण

*25. श्री वाई॰ वी॰ सुब्बा रेड्डी

*26. डॉ॰ कुलमणि सामल

*27. डॉ॰ किरीट सोमैया

*28. श्री श्रीरंग अप्पा बारणे

29. श्री जगदम्बिका पाल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*30. श्री आर॰ के॰ भारती मोहन
31. डॉ॰ जयकुमार जयवर्द्धन
*32. श्रीमती कविता कलवकुंतला
33. श्री सुनील कुमार मंडल
*34. श्री राजन बाबूराव विचारे
35. श्री एस॰ आर॰ विजय कुमार
36. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
37. श्री राजीव सातव
38. श्री जुगल किशोर शर्मा
39. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
40. श्री बंशी लाल महतो
41. डॉ॰ जितेन्द्र सिंह
42. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
43. श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण
44. श्रीमती रीति पाठक
*45. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
*46. श्री नानाभाऊ फाल्गुन राव पटोले

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 9.01 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 4 *मार्च,* 2016 *के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

रात्रि 8.11 बजे से रात्रि 9.01 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4777LS(S3)—03.03.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 4 मार्च, 2016/14 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 136

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य और भूतपूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री पी॰ए॰ संगमा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 121—140 को अतारांकत माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 8 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—4791LS(S3)—04.03.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

मंगलवार, 8 मार्च, 2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 137

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री जशुभाई दानाभाई बराड; पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य श्री बसोरी सिंह मसराम और दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभाओं के सदस्य श्री पवन दीवान के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141—145 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 146—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें तथा ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या) दूसरा संशोधन नियम, 2016 जो 19 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 83(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 787(अ) जो 15 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जून, 2015 में इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद् में हुए निर्वाचन के मामले में उठने वाले किसी विवाद का विनिश्चय करने के लिए उसमें उल्लिखित, व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले अधिकरण की स्थापना की गई है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 857(अ) जो 16 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 907(अ) जो 30 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) सा॰का॰नि॰ 969(अ) जो 15 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 835(अ) जो 4 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 9 व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले अपील अधिकरण की स्थापना की गई है।

(छह) गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की चार्टर्ड एकाउंटेंटों की प्रक्रिया तथा बोर्ड के सभापति तथा सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें तथा भत्ते (संशोधन) नियम, 2016 जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 148(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (सरकारी मान्यताप्राप्त जांच केन्द्र) संशोधन नियम, 2016, जो 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 94(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अध्यादेश, 2016 जो 16 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 170(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(6) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 256(अ) जो 27 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1878(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेंट्रल जू अर्थारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9)(एक) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3373(अ) जो 12 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 10 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2776(अ) का एक शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) उपर्युक्त मद संख्या (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' कम्बैटाइज्ड इंजीनियरिंग कैडर भर्ती नियम, 2015, जो 10 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 950(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4घ के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2016, जो 13 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 101(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीन्नोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) इरीगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सेज फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.6.2015 को समाप्त होने वाले तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता का 30.6.2015 को समाप्त होने वाले तिमाही का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.9.2015 को समाप्त होने वाली तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता का 30.9.2015 को समाप्त होने वाली तिमाही का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2015 को समाप्त होने वाली तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता का

31.12.2015 को समाप्त होने वाली तिमाही का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) उपर्युक्त (24) की मद संख्या (क) से (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1923(अ) जो 15 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 2026(अ) जो 23 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 2093(अ) जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना सं॰ 73/2015-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 6 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 2236(अ) जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना सं॰ 81/2015-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना सं॰ 82/2015-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 2387(अ) जो 31 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना सं॰ 84/2015-सी॰शु॰(एन॰टी॰)जो 3 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 2500(अ) जो 15 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना सं॰ 93/2015-सी॰शु॰(एन॰टी॰)जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना सं॰ 95/2015-सी॰शु॰(एन॰टी॰)जो 29 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के

निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 2674(अ) जो 30 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) अधिसूचना सं॰ 97/2015-सी॰शु॰(एन॰टी॰)जो 1 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 2844(अ) जो 15 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) अधिसूचना सं॰ 101/2015-सी॰शु॰(एन॰टी॰)जो 15 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का॰आ॰ 2966(अ) जो 30 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) अधिसूचना सं॰ 106/2015-सी॰शु॰(एन॰टी॰)जो 5 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा

भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का॰आ॰ 3024(अ) जो 9 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का॰आ॰ 3075(अ) जो 13 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) अधिसूचना सं॰ 112/2015–सी॰शु॰(एन॰टी॰)जो 19 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 964(अ) जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 967(अ) जो 14 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 1017(अ) जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 1018(अ) जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 1019(अ) जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ 1020(अ) जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 4(अ) जो 4 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा॰का॰नि॰ 12(अ) जो 6 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 86(अ) जो 19 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा॰का॰नि॰ 87(अ) जो 19 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा॰का॰नि॰ 124(अ) जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा॰का॰नि॰ 135(अ) जो 2 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) का॰आ॰ 84(अ) जो 11 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 6 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 9/95-सी॰शु॰ को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) का॰आ॰ 85(अ) जो 11 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 11 मई, 1963 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 794 का अधिक्रमण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा॰का॰नि॰ 177(अ) जो 17 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(27) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1(अ) जो 1 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 77(अ) जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 103(अ) जो 22 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 56/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 131(अ) जो 30 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेनवैट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 3 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 142(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(28) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 139(अ) जो 3 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 41/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 140(अ) जो 3 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 12/2013-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 141(अ) जो 3 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 39/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 183(अ) जो 18 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को वित्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 184(अ) जो 18 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(29) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 155(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 110/2015-सी॰शु॰, (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(30) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेश मुद्रा प्रबंध (सामग्री और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 जो 12 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 19(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियम, 2015 जो 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 95(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा लेखे) विनियम, 2015 जो 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 96(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (पावती और संदाय की रीति) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 7 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 935(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियम, 2015 जो 29 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1004(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का आपन, संप्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियम, 2015 जो 29 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1005(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का कब्जा और प्रतिधारण) विनियम, 2015 जो 29 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1006(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियम, 2015 जो 7 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1007(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 1008(अ) जो 29 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मुद्रा की परिभाषा के बारे में है।

(दस) सा॰का॰नि॰ 1009(अ) जो 29 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो डाकघरों (पोस्टल आर्डरों/मनी आर्डरों) के बारे में है।

(31) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 943(अ) जो 8 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेथीलीन क्लोराइड' जिसे 'डाइक्लोरोमीथेन' के नाम से भी जाना जाता है, के आयात पर अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से छह माह से अनधिक अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 944(अ) जो 8 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लाइक्लेजाइड' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 952(अ) जो 10 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताईवान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड' और उसके उपांतरणों के आयात पर अधिसूचना जारी करने की तारीख से छह महीने से अनधिक अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 955(अ) जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच की सिफारिशों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 968(अ) जो 14 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एल्बेंडाजोल' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 88(अ) जो 19 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच की सिफारिशों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कास्टिंग, जो वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों में प्रयुक्त होते हैं, चाहे ये मशीनयुक्त हों या नहीं, चाहे कच्चे, तैयार या अर्द्धनिर्मित रूप में हों या अर्द्धनिर्मित के भाग के रूप में हों या वायु संचालित विद्युत जेनरेटरों के किसी उपकरण/घटक के भाग में हो' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिशुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 121(अ) जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित '3क श्रेणी और उससे निम्न श्रेणी के मलबरी रॉ सिल्क' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 122(अ) जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा

संचालित सनसेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाइन' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 123(अ) जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 3/2016-सी॰शु॰(एडीडी) को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 127(अ) जो 29 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीईएसटीएटी रिमांड मामले में प्रतिपाटन एवं संबद्ध महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5.5.2008 से 19.9.2011 (दोनों दिन शामिल हैं) तक की अवधि के दौरान कुम्हों पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड, दक्षिण कोरिया द्वारा विनिर्मित तथा निर्यातित रबर केमिकल पीएक्स-13 के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की दर को 10.35 रु॰ प्रति किलोग्राम से परिवर्धित करके 5.90 प्रति कि॰ग्रा॰ करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 2 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने विमान-वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस किया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित किया जाए।

(दो) कि 2 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2016 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस किया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित किया जाए।

6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए।

(एक) विमान-वहन (संशोधन) विधेयक, 2015

(दो) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2016

7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ मनोज राजोरिया ने भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यकरण के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 92वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने 'कर्मचारी भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधि के लिए कर प्रस्तावों के मुद्दे' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

9. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री 8 मार्च, 2016 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016

11. अध्यादेश के बारे में विवरण

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (2016 का संख्यांक 1) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान किए जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी गई।

अपराह्न 12.16 बजे

12. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उल्लेख किया तत्पश्चात, निम्नलिखित सदस्यों ने अपने निवेदन किये:—

अपराह्न 12.20 बजे

1. श्रीमती सोनिया गांधी
2. श्रीमती हेमा मालिनी
3. श्रीमती आर॰ वनरोजा
4. श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी)

5. श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह
6. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली
7. श्रीमती कविता कलवकुंतला
8. श्रीमती पी॰ के॰ श्रीमथि टीचर
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
11. श्रीमती रंजीत रंजन
12. प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस
13. श्रीमती गीता कोथापल्ली
14. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
15. श्रीमती एम॰ वसंती
16. श्रीमती रमा देवी
17. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
18. श्रीमती रीती पाठक
19. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
20. श्रीमती पूनम महाजन
21. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
22. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
23. साध्वी निरंजन ज्योति
24. श्री एम॰ वेंकैया नायडु

सर्वश्री सी॰ आर॰ चौधरी और चन्द्र प्रकाश जोशी सहयोजित हुए।

(लोक सभा अपराह्न 1.58 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.04 बजे पुन:समवेत हुई।)

अपराह्न 3.04 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री नाना पटोले द्वारा महाराष्ट्र में नाग नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती कृष्णा राज द्वारा उत्तर प्रदेश में बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा जनगणना, निर्वाचन ड्यूटी तथा अन्य जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में निजी विद्यालयों के शिक्षकों तथा बेरोजगार युवकों को तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सांस्कृतिक धरोहर वाले स्थानों के प्रचार-प्रसार तथा इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किले को संरक्षित तथा विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री दलपत सिंह परस्ते द्वारा मध्य प्रदेश के अनुपपुर जिले में कूडकू जनजाति के लोगों को आवास प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री आलोक संजर द्वारा भोपाल, मध्य प्रदेश में एम्स निदेशक के पद को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148-डी और 758 के निर्माण हेतु जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा केन्या के नैरोबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की बैठक के परिणामों पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदश के मेरठ में एक सैनिक स्कूल/मिलिट्री स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुखबीस सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डूंगरपट्टी अमावरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों तथा ढाणियों में सड़क सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के आनन्दनगर और नौतनवा के बीच रेललाइन का आमान-परिवर्तन कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोसी नदी पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री डी॰ के॰ सुरेश द्वारा कर्नाटक के बंगलौर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एटीएम स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री ए॰ अरुणमणिदेवन द्वारा तमिलनाडु में तिरुपल्लियार से कुड्डालोर-तिरुचिरापल्ली ट्रेन संख्या 76841 चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जी॰ हरि द्वारा तमिलनाडु के अराकोनम जंक्शन पर रेलवे प्लेटफॉर्म की लम्बाई की समस्या को दूर किए जाने तथा इस रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री तापस पाल द्वारा पश्चिम बंगाल के नादिया जिला ब्लॉक में एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) प्रो॰ सौगत रॉय द्वारा हाल ही में जेएनयू में हुई घटना के मद्देनजर आईपीसी से देशद्रोह की धारा हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा के कोरापुट जिले में जेपोर के रेडियो स्टेशन का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा केरल के पालक्काड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अट्टापडी जनजातीय क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी की राशि को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री मोहम्मद फैज़ल द्वारा लक्षद्वीप के कावारती और मिनिकॉय द्वीपों को छोड़कर अन्य किसी भी द्वीप में जवाहर नवोदय विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा सुल्तानगंज (बिहार) से देवघर (झारखंड) के बीच होने वाली वार्षिक ''कांवड यात्रा'' को राष्ट्रीय मेले के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 3.05 बजे

14. (एक) बजट (रेल)—2016-17; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल)—2016-17 और (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल)—2015-16

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 13 घंटे 23 मिनट

कार्य की निम्नलिखित पदों पर आगे की चर्चा एक साथ ली गई:—

(एक) बजट (रेल)-2016-17 पर सामान्य चर्चा;

(दो) बजट (रेल) 2016-17 के संबंध में लेखा सं॰ 1 से 16 के संबंध में अनुदानों की मांगें; और

(तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 2015-16

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री तारिक अनवर
*2. श्री आलोक संजर
*3. श्री गणेश सिंह
*4. डॉ॰ के॰ गोपाल
*5. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन
*6. श्री वीरेन्द्र कश्यप

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*7. श्रीमती आर॰ वनरोजा

*8. श्री जी॰ हरि

*9. श्री के॰ अशोक कुमार

*10. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबू

*11. श्री सी॰ एन॰ जयदेवन

*12. श्री पी॰ के॰ बीजू

*13. श्री चिन्तामन नवाशा वांगा

*14. श्री के॰आर॰पी॰ प्रबाकरन

*15. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*16. डॉ॰ थोकचोम मेन्या

*17. श्री अभिजित मुखर्जी

18. श्रीमती कृष्णा राज

*19. प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस

*20. श्री अर्का केशरी देव

*21. श्री के॰डी॰ सुरेश

*22. श्री शिवाजी अधलराव पाटील

*23. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमेगौड़ा

*24. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

25. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा

*26. श्रीमती पूनम महाजन

*27. श्रीमती सुप्रिया सुले

28. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*29. श्री संजय शामराव धोत्रे

*30. डॉ॰ (श्रीमती) मुमताज संघमिता

31. श्री सी॰ महेन्द्रन

*32. श्री सत्यपाल सिंह

*33. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा

*34. डॉ॰ यशवंत सिंह

*35. श्री हरि मांझी

36. श्रीमती रंजन बेन भट्ट

37. डॉ॰ तपस मंडल

*38. श्री नलिन कुमार कटील

39. श्रीमती अंजू बाला

40. श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा

*41. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

42. डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल

*43. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण

*44. श्री पी॰ करुणाकरन

45. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह

46. श्रीमती कमला पाटले

*47. कु॰ शोभा कारान्दलाजे

48. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड

49. श्रीमती रक्षा खाडसे

*50. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

51. श्री राम कुमार शर्मा कुशवाहा

*52. श्री शिवकुमार उदासि

53. श्रीमती रमा देवी

54. श्री राधेश्याम बिश्वास

*55. श्री पी॰पी॰ चौधरी

56. श्रीमती संतोष अहलावत

*57. श्री पी॰आर॰ सुंदरम

58. श्री भगवंत मान

59. श्री भरत सिंह

*60. श्री प्रेम दास राई

61. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा

62. श्री वी॰ पन्नीरसेलवम

63. श्रीमती प्रतिमा मण्डल

64. श्री विनोद खन्ना

65. श्री रमेश बिधुड़ी

66. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू

67. श्री नारणभाई काछड़िया

68. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

69. श्री जोस के॰ मणि

70. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

*71. श्री पी॰आर॰ सेन्थिल नाथन

72. श्री राजवीर सिंह (राजू भैया)

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

73. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

74. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)

75. श्री विजय कुमार हंसदाक

76. श्री राम टहल चौधरी

77. श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज

78. श्री पी॰सी॰ मोहन

79. श्री अरविंद गणपत सावंत

80. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

81. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

82. श्री गोपाल शेट्टी

*83. श्री झीना हीकाका

84. प्रो॰ सीताराम अजमीरा नायक

85. श्री सी॰आर॰ चौधरी

86. श्री कांतिलाल भूरिया

87. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

*88. श्री रामेश्वर तेली

89. श्री दुष्यंत चौटाला

90. श्री लल्लू सिंह

91. श्रीमती के॰ मरगथम

92. श्री भगवंत खुबा

93. श्री सुशील कुमार सिंह

94. प्रो॰ रिचर्ड डे

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

95. श्री विद्युत वरण महतो
96. श्री अभिषेक सिंह
97. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
98. श्री लखन लाल साटू
99. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
100. श्री अश्विनी कुमार चौबे
101. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
102. श्री सुनील कुमार सिंह
103. श्री अजय मिश्रा (टेनी)
104. श्री भोला सिंह
105. श्री उदय प्रताप सिंह
106. श्री एम॰ मुरली मोहन
107. श्री सुधीर गुप्ता
108. श्री राहुल शेवाले
109. श्री प्रताप सिम्हा
110. श्री शरद त्रिपाठी
111. श्री देवेन्द्र सिंह (उर्फ) भोले सिंह
112. श्री मुकेश राजपूत
113. श्री अजय टम्टा
114. डॉ॰ के॰सी॰ पटेल
115. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
116. श्री हरिनरायन राजभर

117. श्री विष्णु दयाल राम

118. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

119. डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय

120. श्री दद्दन मिश्रा

121. श्री कौशल किशोर

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 11.51 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 9 *मार्च,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

#रात्रि 11.21 बजे से 11.51 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4906LS(S3)—08-03-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 9 मार्च, 2016/19 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 138

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—165 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 166—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2016-2017 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चौदहवीं, पंद्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

चौदहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 30	पांचवां सत्र, 2005
2.	विवरण संख्या 32	सातवां सत्र, 2006

3.	विवरण संख्या 24	ग्यारहवां सत्र, 2007
4.	विवरण संख्या 25	बारहवां सत्र, 2007
5.	विवरण संख्या 28	तेरहवां सत्र, 2008
6.	विवरण संख्या 25	चौदहवां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

7.	विवरण संख्या 25	दूसरा सत्र, 2009
8.	विवरण संख्या 23	तीसरा सत्र, 2009
9.	विवरण संख्या 22	चौथा सत्र, 2010
10.	विवरण संख्या 20	पांचवा सत्र, 2010
11.	विवरण संख्या 19	छठा सत्र, 2010
12.	विवरण संख्या 17	सातवां सत्र, 2011
13.	विवरण संख्या 17	आठवां सत्र, 2011
14.	विवरण संख्या 16	नौवां सत्र, 2011
15.	विवरण संख्या 15	दसवां सत्र, 2012
16.	विवरण संख्या 13	ग्यारहवां सत्र, 2012
17.	विवरण संख्या 12	बारहवां सत्र, 2012
18.	विवरण संख्या 11	तेरहवां सत्र, 2013
19.	विवरण संख्या 9	चौदहवां सत्र, 2013
20.	विवरण संख्या 7	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

21.	विवरण संख्या 6	दूसरा सत्र, 2014
22.	विवरण संख्या 5	तीसरा सत्र, 2014
23.	विवरण संख्या 4	चौथा सत्र, 2015
24.	विवरण संख्या 2	पांचवां सत्र, 2015
25.	विवरण संख्या 1	छठा सत्र, 2015

(3) वर्ष 2016-2017 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत परमाणुवीय दायित्व निधि नियम, 2015 जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1016(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 29 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1012(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 29 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1013(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 29 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1014(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 29 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1015(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2015, जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1021(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2015, जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1022(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2015, जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1023(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2015, जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2015, जो 31 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1029(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2015, जो 31 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1030(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवा (संयुक्त संवर्ग) संशोधन नियम, 2016, जो 12 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2016, जो 20 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 90(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2016, जो 20 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 91 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिक्ष विभाग का परिणामी बजट।

(9) लक्षद्वीप स्टेट वक्फ बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) लक्षद्वीप स्टेट वक्फ बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति से 4 मार्च, 2016 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

23 फरवरी, 2016 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।''

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 8 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015, को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित किया जाए।

6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक — सभा पटल पर रखा गया

भारतीय मानक ब्यूरो, विधेयक, 2015

7. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰पी॰ चौधरी ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत किया।

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य मंत्रणा समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिका समिति की याचिका

श्री ओम प्रकाश यादव ने देश में चिकित्सीय सुधारों के बारे में श्री अखिलेख कुमार झा द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत की।

अपराह्न 12.03 बजे

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय दूरभाष उद्योग (आईटीआई) लिमिटेड का पुनरुद्धार' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'डाक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग और उसका आधुनिकीकरण' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराह्न 12.05 बजे

11. सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीमती अंजु बाला ने एक संसद सदस्य के व्यक्तित्व की अवमानना में पर सोशल मीडिया की कथित भूमिका के बारे में निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री शरद त्रिपाठी, देवेन्द्र सिंह **(उर्फ)** भोले सिंह, श्री रामचरण बोहरा, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री अरविन्द गणपत सावंत, श्रीमती रमादेवी, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री धर्मवीर सिंह सहयोजित हुए।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.12 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.10 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.12 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष पीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे :—

1. श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा राजस्थान के झुन्झुनू जिले के मांडवा को फिल्म नगरी और पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा महाराष्ट्र के दहानु रोड़, वसई, नालासुपारा, विरार, पालघर और बोयसर रेलवे स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित रायपुर करचूलियां प्रखंड में स्थित दुरई गांव में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित नेतरहाट में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात के सूरत में कशिदा एककों को वस्त्र उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री देवुसिंह चौहान द्वारा वडोदरा और अहमदाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर दो पथकर बूथ का प्रचालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार मिलने तक शिक्षा ऋण पर ब्याज के भुगतान को स्थगित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री बिष्णु पद राय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रारूप अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खाद्य सुरक्षा नियम, 2016 के अधीन सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री जनक राम द्वारा धोखाधड़ी करने वाले ट्रेवल एजेंटों के कार्यकरण पर रोक लगाने और विदेश में मरने वाले भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर की बिना किसी बाधा के वापसी सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री हुकुम सिंह द्वारा पाकिस्तान से पलायन कर वर्तमान में भारत में रह रहे परिवारों को वापस भेजने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री भरत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाईल सेवा में सुधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा आपातकाल के दौरान जय प्रकाश आन्दोलन के वयोवृद्ध प्रमुख नेताओं को सम्मान स्वरूप वित्तीय एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा घरेलू कामगारों और देश के अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में कार्यरत दिहाड़ी कामगारों और तदर्थ कर्मचारियां की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री गौरव गोगोई द्वारा उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति की योजनाओं के अंतर्गत लाभ का दावा करने हेतु औद्योगिक एककों के नई पंजीकरण के निलम्बन संबंधी परिपत्र रद्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री राजीव सातव द्वारा महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति से प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता और राहत सामग्री मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री ए॰ अनवर राजा द्वारा समुद्र खीर (सी-ककम्बर) के पकड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री वी॰ एलुमलाई द्वारा तमिलनाडु में टिंडीवनम-तिरूवन्नामलई तथा टिंडीवनम-नागरी रेललाइनों पर कार्य पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं का निराकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. डॉ॰ तापस मंडल द्वारा दलितों और आदिवासियों के कल्याण हेतु बजट 2016 में किए गए आवंटन के संबंध में।

21. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा ओडिशा में पांच नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण हेतु शेष निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

22. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा देश में छावनी क्षेत्रों के विकास हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री एम॰ मुरली मोहन द्वारा राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश में कैंसर अनुसंधान संस्थान/अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा देश में ऑनलाइन स्टार्ट–अप और ई–वाणिज्य क्षेत्र के लिए नियामक निकाय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा 2011 और 2015 के बीच सिविल सेवा परीक्षा देने वाले प्रत्याशियों को दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाह्य केन्द्रों के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.13 बजे

13. (एक) बजट (रेल)–2016–17; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल) 2016–17; और (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 2015–16

लिया गया समय: 14 घंटे 22 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे की चर्चा एक साथ ली गई:—

(एक) बजट (रेल) 2016–17 पर सामान्य चर्चा; और

(दो) बजट (रेल) 2016–17 के संबंध में लेखा सं॰ 1 से 16 के संबंध में अनुदानों की मांगें।

(तीन) बजट (रेल) 2015-16 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 16

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे रेल मंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उन्हें रेल बजट 2016-17 से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों में शुद्धि/युक्तिका के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए;

(एक) अनुदानों की मांगें (रेल) भाग-एक

(दो) रेल के कार्य, मशीनरी और चालू स्टॉक कार्यक्रम — भाग-दो — क और ख।

मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

अब माननीय मंत्री विवरण सभा पटल पर रखेंगे।''

तद्नुसार, रेल मंत्री ने उपर्युक्त विवरण सभा पटल पर रखा।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री बहादुर सिंह कोली
2. डॉ॰ ए॰ सम्पत
3. डॉ॰ के॰ कामराज
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री रामसिंह राठवा
6. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
7. श्री ओम बिरला
8. श्री सुभाष चन्द्र बहेरिया
9. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
10. श्रीमती गीता कोथापल्ली
11. श्री राहुल कास्वां
12. श्री देवजी एम॰ पटेल

13. श्री कांतिलाल भूरिया
14. श्री चंदूलाल साहू
15. श्री रवीन्द्र कुशवाहा
16. श्री प्रभुभाई एन॰ वसावा
17. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
18. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक'
19. श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली
20. श्री आर॰ गोपालकृष्णन
21. श्री रामचरण बोहरा
22. श्रीमती रेणुका बुत्ता
23. श्री योगी आदित्यनाथ
24. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर
25. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
26. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे
27. श्री रामदास तडस
28. श्रीमती सकुंतला लागुरी
29. श्री अर्जुन राम मेघवाल
30. श्री प्रह्लाद जोशी
31. श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह
32. श्रीमती रीता तराई
33. श्रीमती पूनम माडम
34. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी
35. श्री बी॰ श्रीरामुलु
36. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी

श्री सुरेश प्रभु ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2016-17 के लिए बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 16 की लेखानुदानों की मांगों (रेल) 2016-17 की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) 2015-16 की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

14. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2016

15. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2016

श्री सुरेश प्रभु ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

सुरेश प्रभु ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

16. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2016

17. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2016

श्री सुरेश प्रभु ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

सुरेश प्रभु ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.12 बजे

#18. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय**:** 2 घंटे 48 मिनट

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

> ''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 2016 को प्रख्यापित शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् जैसा कि नीचे के **पैरा 19** में दर्शाया गया है, संकल्प अस्वीकृत हुआ।

#19. सरकारी विधेयक—पारित

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016

श्री राजनाथ सिंह ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखिए उपर्युक्त पैरा 18) तथा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री योगी आदित्यनाथ
2. कु० सुष्मिता देव
3. प्रो० सौगत राय
4. श्री पी०आर० सेन्थिल नाथन

एक साथ चर्चा की गई।

5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री कोन्डा विश्वेश्वर रेड्डी
7. श्री एम॰ श्रीनिवास राव (अवंती)
8. श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज
9. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
10. श्री पी॰पी॰ चौधरी
11. डॉ॰ शशि थरूर
12. प्रो॰ चिन्तामणि मालवीय
13. श्री असादुद्दीन ओवैसी
14. श्री हुकुम सिंह
15. डॉ॰ उदित राज

श्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 10 *मार्च,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—4930LS(S3)—09.03.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 10 मार्च, 2016/20 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 139

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181—187 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 188—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) विदेश मंत्रालय का वर्ष 2016-2017 का परिणामी बजट।

(2) (एक) नेशनल जुडिशियल एकेडमी, इंडिया, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जुडिशियल एकेडमी, इंडिया, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारत में संरक्षकता और अभिरक्षा विधियों में सुधार — मई, 2015 — भारतीय विधि आयोग के प्रतिवेदन संख्यांक 257 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(6) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 35(अ) जो 6 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2335(अ) जो 21 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2333(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 2336(अ) जो 21 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित विशिष्ट राज्य में विनिर्मित्त किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित रेशम कीट बीज और कोया बीजों के प्रकार या किस्मों को अधिसूचित किया गया है।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मन का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारीवृंद की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 4 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-2/2(2)/2011/-स्था॰/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इंडोर/आउटडोर चिकित्सीय सुविधाएं) (पहला संशोधन) विनियम, 2015 जो 4 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-2/1/2009/-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(13) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 53 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2012 जो 31 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एईआरए/35014/टीओबी/2009 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2015 जो 30 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 909(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) संशोधन नियम, 2015 जो 27 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 808(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) उपर्युक्त (15) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2015-2016 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2015-2016 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का परिणामी बजट।

(18) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 330(अ) से का॰आ॰ 332(अ) जो 2 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (जबलपुर-मांडला-चिल्पी खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1178(अ) जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1162(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1179(अ) जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1358(अ) से का॰आ॰ 1360(अ) जो 21 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नया एनएच संख्या 43) (पथालगांव से सीजी/जेएच सीमा खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1361(अ) और का॰आ॰ 1362(अ) जो 21 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (नया एनएच संख्या 49) (विलासपुर-उर्दावल खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1419(अ) और का॰आ॰ 1420(अ) जो 28 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (नया एनएच संख्या 61) (महाराष्ट्र/तेलंगाना सीमा से निर्मल खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1524(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (श्री बालाजी बाईपास) (नागौर-बीकानेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1525(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (नया एनएच संख्या 153) (रायगढ़-सरनगढ़ सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1553(अ) जो 11 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (भारत नेपाल से वाराणसी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1698(अ) जो 25 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2243(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1699(अ) से का॰आ॰ 1702(अ) जो 25 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 विस्तार (रीवा-सिधी खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1730(अ) और का॰आ॰ 1731(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 70 (जालंधर-होशियारपुर खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1805(अ) से का॰आ॰ 1807(अ) जो 3 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना-बेला खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1875(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1872(अ) और का॰आ॰ 1873(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच 30) (कवर्धा से सिमगा खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1871(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (वग्गमपल्ली से दोरनाला 'टी' जंक्शन) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1879(अ) जो 13 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थो तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (वग्गमपल्ली से दोरनाला 'टी' जंक्शन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1925(अ) जो 16 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2036(अ) जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2009(अ) और का॰आ॰ 2010(अ) जो 22 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (नया एनएच 49) (बिलासपुर उर्दावल खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2032(अ) जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (वग्गमपल्ली से दोरनाला 'टी' जंक्शन) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2034(अ) जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 42(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का॰आ॰ 2035(अ) जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एनएच 216) (चिराला से ओंगोल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2111(अ) जो 3 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (थनमचेरला से जमांडलापल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 2147(अ) से का॰आ॰ 2150(अ) जो 7 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (धमतारी-जगदलपुर खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 2138(अ) जो 7 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 2139(अ) जो 7 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जिसके द्वारा 1 अक्तूबर 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2582(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 2140(अ) जो 7 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (दोरनाला 'टी' जंक्शन से अटमाकुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 2144(अ) जो 7 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (मिदुकुर से दोरनाला 'टी' जंक्शन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 2145(अ) जो 7 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2744(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का॰आ॰ 2189(अ) जो 11 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (पेचालाकोना से येरपेडु खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 2233(अ) जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 2479(अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (नया एनएच सं॰ 30) (धमतारी-जगदलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 2478(अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (वग्गमपल्ली से दोरनाला 'टी' जंक्शन) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 2516(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 2513(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (भारत नेपाल सीमा से वाराणसी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 2518(अ) से का॰आ॰ 2525(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 71 (जालंधर-बरनाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का०आ० 706(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 (पुपांकी से मिर्धा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का०आ० 1092(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का०आ० 1030(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), बांकुरा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(इकतालीस) का०आ० 1019(अ) जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), बांकुरा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(बयालीस) का०आ० 1018(अ) जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2558(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतालीस) का०आ० 1224(अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 (बंजारिया से शिवहर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का०आ० 1287(अ) जो 14 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एएच-48 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 1020(अ) जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एएच-48 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 1630(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एएच-02 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 1733(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1628(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एएच-02 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 1029(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एएच-48 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 2498(अ) जो 15 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एएच-48 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 2661(अ) जो 29 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर वेट इन मोशन कम ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासिफायर मशीन्स

लगाए जाने के संबंध में विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, बीरभूम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(बावन) का॰आ॰ 2659(अ) जो 29 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उसमें उल्लिखित विशेष भूमि अर्जन अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तिरपन) का॰आ॰ 1086(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 3158(अ) जो 24 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 3513(अ) जो 23 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर से हैदराबाद खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 513(अ) जो 17 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा-औरंग खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 409(अ) जो 9 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(अठावन) का॰आ॰ 353(अ) जो 3 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (हरियाणा/उत्तर

प्रदेश सीमा से कानपुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनसठ) का०आ० 263(अ) जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 50(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का०आ० 225(अ) जो 22 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 (नया एनएच 6) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(इकसठ) का०आ० 174(अ) जो 19 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(बासठ) का०आ० 3323(अ) जो 9 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नया एनएच 16) (दिवानचेरूवु से गुंडुगोलानु खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तिरसठ) का०आ० 2(अ) जो 1 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (पूर्णिया-फारबिसगंज-झंझारपुर-दरभंगा-मुजफ्फरपुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(19) उपर्युक्त (18) की मद संख्या (एक) से (तिरपन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (सागरगामियों की भर्ती और स्थानन) नियम, 2016 जो 16 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 169(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सीय परीक्षा) संशोधन नियम, 2016 जो 29 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) (एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) वर्ष 2016-2017 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शिवकुमार उदासि ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. याचिका समिति का प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने एयर इंडिया की तुलना में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कथित असमानता तथा उनकी अन्य सेवा शर्तों में सुधार लाए जाने के बारे में एलायंस एयर इम्प्लाइज यूनियन के महासचिव अमित राय से प्राप्त तथा श्री जितेन्द्र चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन पर याचिका समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विन्सेंट एच॰ पाला ने 'देश में जनजातीय न्याय प्रणाली और नियमित न्याय प्रणाली के बीच समन्वय' विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 80वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'रेडियो कश्मीर, सीबीएस रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के नैमित्तिक कर्मकारों/कलाकारों का नियमितीकरण' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लिए गए कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.08 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कथित निष्क्रियता बरते जाने, जिससे एक उद्योगपति को उसका पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश होने के बावजूद देश छोड़ने में आसानी हुई, के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने उत्तर दिया।

श्री अरुण जेटली ने भी उत्तर दिया।

अपराह्न 12.20 बजे

9. ध्यानाकर्षण

श्री निशिकान्त दुबे ने इसरत जहाँ मामले से संबंधित शपथपत्र को कथित फेर-बदल किए जाने के बारे में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.20 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

गृह मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

गृह मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्नों का भी उत्तर दिया।

अपराह्न 1.41 बजे

10. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 9 मार्च, 2016 को सभा मे प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.42 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.47 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.47 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के सिरोही जिला मुख्यालय में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी के तीन वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को स्नातक का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गणेश सिंह द्वारा बरगी बांध परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने तथा इस परियोजना हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में रफीगंज रेलवे स्टेशन से पूरब की ओर तथा गुरारु रेलवे स्टेशन से पश्चिम की ओर समपारों पर सड़क उपरिकुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राघव लखनपाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संत शिरोमणि गुरू रविदास जी महाराज की शोभायात्रा के दौरान हिंसा करने वाले असमाजिक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हेतु राज्य सरकार को निर्देश किए जाने आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार की ''लोहार'' जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति संवितरित करने के लिए शेष धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार में मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक रेललाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा गुजरात में गंभीर जल संकट का सामना कर रहे जिलों को पीने और सिंचाई करने के प्रयोजन हेतु नर्मदा बांध से जल की आपूर्ति करने हेतु उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेतवा नदी में अवैध बालू खनन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पौराणिक महत्व के स्थलों को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ भोला सिंह ने बिहार द्वारा बरौनी उर्वरक संयंत्र को पुन: चालू किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा कीटनाशकों, कृमिनाशकों और परिरक्षकों के उपयोग पर रोक लगाए जाने के लिए व्यापक विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की भावना को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री पी॰आर॰ सुन्दरम द्वारा मुक्त व्यापार समझौता की नकारात्मक सूची में टोपिओका स्टार्च, सैगो और परिवर्धित स्टार्च को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री पी॰आर॰ सेनथिलनाथन द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संकायों की कमी के बारे में।

(19) डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर लोरा में एनटीपीसी के सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के कारण उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों से पर्यावरण को बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री राहुल शेवाले द्वारा मुम्बई में कपड़ा मिल के कामगारों की समस्या का निराकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निर्माण करने के लिए विशेष सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा ग्रामीण डाक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री राजू शेट्टी द्वारा सूखा प्रभावित राज्यों में लोगों को राहत और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने से संबंधित मामलों के बेहतर समन्वय के लिए तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.48 बजे

12. (एक) बजट (सामान्य)—2016-17 और (दो) लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)—2016-17

आवंटित समय:	12 घंटे
लिया गया समय:	5 घंटे 28 मिनट
शेष समय:	6 घंटे 32 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) बजट (सामान्य)—2016-17 पर सामान्य चर्चा; और

(दो) बजट (सामान्य)—2016-17 से संबंधित लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 30, 32, 34 से 56, 58 से 64, 66 से 68, 70, 71 और 73-98

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) डॉ॰ शशि थरूर

(2) श्री नन्द कुमार सिंह चौहान

(3) श्री विजय कुमार एस॰आर॰

(4) डॉ॰ (प्रो॰) सुगत बोस

(5) श्री भर्तृहरि महताब

(6) श्री पी॰ करुणाकरन

(7) श्री शिवाजी आधलराव पाटील

(8) श्री जैदेव गल्ला

*(9) श्री पी॰के॰ बिजू

*(10) श्रीमती रंजनबेन भट्ट

*(11) श्रीमती ज्योति ध्रुवे

*(12) श्री एम॰ उदयकुमार

*(13) श्रीमती वी॰ सत्यबामा

*(14) श्रीमती कविता कलवकुंतला

*(15) श्री के॰ परसुरमन

*(16) श्री रामेश्वर तेली

*(17) श्री पी॰ कुमार

(18) श्री वाई॰ वी॰ सुब्बारेड्डी

*(19) श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

*(20) श्री शंकर प्रसाद दत्ता

(21) श्री अधीर रंजर चौधरी

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(22) श्री भगत सिंह कोश्यारी

(23) श्री के॰ एन॰ रामचन्द्रन

(24) डॉ॰ रत्ना डे (नाग)

(25) श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 9.25 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 11 *मार्च,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

रात्रि 8.16 बजे से रात्रि 9.25 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4983LS—10.03.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 140

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201—207 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 208—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से 10 मार्च, 2016 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से आईआरएनएसएस-1 एफ के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को बधाई दी।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें।

(2) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हाने वाले वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी पहले वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सेंट्रल एडाप्शन रिर्सोस अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(9) (एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2015 जो 30 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 826(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 25 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 104(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 16 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ पी॰ 15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) वर्ष 2016-2017 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) वर्ष 2016-2017 के लिए आयुष मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए पर्यटन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें।

(दो) वर्ष 2016-17 के लिए पर्यटन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए पशुपालन, डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(25) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सभापति और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016 जो 5 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 27(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सभापति और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2015 जो 31 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1031(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सभापति और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2015 जो 23 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3516(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(26) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3217(अ) जो 30 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना सं॰ 136/2015-सी॰शु॰ (एनटी) जो 3 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के

निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 3412(अ) जो 15 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सीशु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना सं॰ 144/2015–सीशु॰(एनटी) जो 17 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 3567(अ) जो 31 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सीशु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना सं॰ 02/2016–सीशु॰(एनटी) जो 7 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना सं॰ 12/2016–सीशु॰(एनटी) जो 12 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है और 14 जनवरी, 2016 का उसका एक शुद्धिपत्र दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 143(अ) जो 15 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सीशु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना सं॰ 14/2016–सीशु(एनटी) जो 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 265(अ) जो 29 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सीशु॰/एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना सं॰ 17/2016–सीशु(एनटी) जो 1 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में सांपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना सं॰ 18/2016–सीशु(एनटी) जो 4 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 426(अ) जो 9 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सीशु(एनटी) मे कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) अधिसूचना सं॰ 24/2016–सीशु(एनटी) जो 12 फरवरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का॰आ॰ 482(अ) जो 15 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) अधिसूचना सं॰ 29/2016-सीशु(एनटी) जो 18 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(27) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2015 का संख्यांक 52) निष्पादन लेखापरीक्षा प्रौद्योगिक उन्नयन निधि स्कीम, वस्त्र मंत्रालय।

(दो) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2015 का संख्यांक 55)।

(तीन) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 1)।

(चार) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 2)।

(पांच) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व विभाग (प्रत्यक्ष कर) के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 3)।

(छह) वर्ष 2006-2007 से 2009-2010 के दौरान निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 4)—(संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)।

(सात) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व विभाग सीमा-शुल्क (अनुपालन लेखापरीक्षा) के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 5)।

(28) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-I अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 जो 26 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III श्रेणी IV अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 जो 26 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 195(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 जो 26 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 196(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 जो 22 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 98(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-I अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 जो 14 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 28(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 जो 14 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III श्रेणी IV कर्मचारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 जो 14 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 30(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2016 जो 14 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 31(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2016 जो 14 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 32(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(29) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 2016 जो 23 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 233(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सामान्य बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 2016 जो 23 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 234(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षक, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 2016 जो 23 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 235(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन स्कीम, 2016 जो 23 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 234(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का युक्तियुक्तकरण) दूसरा संशोधन स्कीम, 2016 जो 25 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 238(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) सामान्य बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का युक्तियुक्तकरण) दूसरा संशोधन स्कीम, 2016 जो 25 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 239(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(सात) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षक, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का युक्तियुक्तकरण) दूसरा संशोधन स्कीम, 2016 जो 25 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 240(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(30) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए संसद् राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति सचिवालयों की विस्तृत अनुदानों की मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए वित्त मंत्रालय का परिणामी बजट।

(31) वर्ष 2016-2017 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 9 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2016 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि किए गए संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

*(दो) कि 10 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2016 पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2016

***7. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया**

भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2016

---

*अपराह्न 3.28 बजे।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में, वित्त संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित 'आयोजना प्रक्रिया-एक समीक्षा' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

9. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री राजीव प्रताप रूडी ने 14 मार्च, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.16 बजे

11. सरकारी संकल्प–स्वीकृत

श्री हरिभाई चौधरी निम्नलिखित संकल्प पेश करेंगे:—

''कि यह सभा भारत के महापंजीयक के कार्यालय (आर जी आई) में कम्प्यूटर (अब कम्पायलर) के पद के लिए वेतनमानों के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 18 अक्तूबर, 1999 को दिए गए अधिनिर्णय (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम की स्कीम के खण्ड 21 के निबंधनों के अनुसार सीए संदर्भ संख्या 1/1998 में दिया गया अधिनिर्णय) को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन निम्नलिखित कारणों से करती है —

(एक) भारत के महापंजीयक के कार्यालय (आर जी आई) में कम्प्यूटर (अब कम्पायलर) के पद के कर्तव्य और भर्ती अर्हताएं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) में अन्वेषक के पद, जिसके साथ प्रमुखत: समानता की मांग की जा रही है, से तुलनीय नहीं है;

(दो) भारत के महापंजीयक के कार्यालय (आर जी आई) में कम्प्यूटर (अब कम्पायलर) के पद के वेतनमान के उन्नयन से केन्द्रीय सरकार से उच्च श्रेणी लिपिक और अन्य समान वर्गों के पदों, से समान प्रकार की मांग उठ सकती है जिसका भारी वित्तीय प्रभाव होगा; और

(तीन) इस मामले की जांच कई केन्द्रीय वेतन आयोगों, जो विशेषज्ञ निकाय हैं और सरकार में सभी पदों के मामले में समग्र तरीके से विचार करती है, द्वारा पहले ही की गई है। भारत के महापंजीयक कार्यालय के संबंध में प्रस्ताव में लगभग 36.14 करोड़ रुपए का एकमुश्त व्यय तथा प्रतिवर्ष लगभग 2.93 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय अंतर्विष्ट है। इसके अलावा पंचाट, यदि स्वीकार किया जाता है के व्यापक वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव होंगे क्योंकि सरकार में भारी संख्या में अन्य समान स्थिति वाले स्टाफ द्वारा ऐसी ही मांग की जाएगी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के हित में नहीं होगा।''

श्री ए॰ सम्पत ने वाद-विवाद में भाग लिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.25 बजे

12. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन सहमति हुई

*(एक) *विमानवहन (संशोधन) विधेयक,*—2015

श्री पी॰ अशोक गणपति राजू ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में ''छियासठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''सड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में अंक ''2015'' **के स्थान पर** ''2016'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* विधेयक 2 दिसम्बर, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा की सहमति के लिए भेजा गया। राज्य सभा ने 2 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में इस विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 3 मार्च, 2016 को लोक सभा को लौटा दिया।

श्री पी॰ अशोक गणपति राजू द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 12.27 बजे

(दो) *उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015

श्री डी॰ वी॰ सदानंद गौड़ा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में ''छियासठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''सडसठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ, 1 पंक्ति 5 में अंक ''2015'' **के स्थान पर** ''2016'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी॰ वी॰ सदानंद गौड़ा द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 12.29 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 59 मिनट

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2016

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

---

* विधेयक 7 दिसम्बर, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा की सहमति के लिए भेजा गया। राज्य सभा ने 2 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में इस विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 3 मार्च, 2016 को लोक सभा को लौटा दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री राजीव शंकरराव सातव

(2) श्री गणेश सिंह

(3) श्री बी॰ सेनगुट्टुवन

(4) श्री तथागत सत्पथी

(5) श्री अरविंद गणपत सावंत

(6) श्री के॰ राममोहन नायडू

(7) श्री जितेन्द्र चौधरी

(8) श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

(9) श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी

(10) श्री राजेन्द्र अग्रवाल

(11) श्री जय प्रकाश नारायण यादव

(12) श्री कौशलेन्द्र कुमार

(13) श्री असादुद्दीन ओवैसी

(14) श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमेयगौडा

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 और 11 स्वीकृत हुए।

खंड 12 और 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 स्वीकृत हुआ।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 23 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 26 स्वीकृत हुआ।

खंड 27 स्वीकृत हुआ।

खंड 28 स्वीकृत हुआ।

खंड 29 और 30 स्वीकृत हुए।

खंड 31 और 32 स्वीकृत हुए।

खंड 33 स्वीकृत हुआ।

खंड 34 स्वीकृत हुआ।

खंड 35 स्वीकृत हुआ।

खंड 36 स्वीकृत हुआ।

खंड 37 स्वीकृत हुआ।

खंड 38 से 40 स्वीकृत हुए।

खंड 41 और 42 स्वीकृत हुए।

खंड 43 से 47 स्वीकृत हुए।

खंड 48 और 49 स्वीकृत हुए।

खंड 50 और 51 स्वीकृत हुए।

खंड 52 और 53 स्वीकृत हुए।

खंड 54 से 57 स्वीकृत हुए।

खंड 58 और 59 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.30 बजे

14. प्रस्ताव

श्री जैदेव गल्ला ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 2 मार्च, 2016 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन से इस आशोधन के अध्यधीन सहमत है कि पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा (दो) की सिफारिशें, जो संकल्पों के लिए आवंटित समय के बारे में है, का लोप किया जाए और यह सभा 10 मार्च, 2016 को सभा में प्रस्तुत समिति के 20वें प्रतिवेदन से भी सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

15. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री सुशील कुमार सिंह का कारीगर (कल्याण) विधेयक, 2015

(2) श्री हरीश चन्द्र मीणा का परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 35 और 46 का संशोधन)

(3) श्री राजीव सातव का न्यायिक कार्यवाहियों तक अभिगम और सूचना का अधिकार विधेयक, 2016

(4) श्री निशिकांत दुबे का विधवाओं और अनाथों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं विधेयक, 2016

(5) श्री निशिकांत दुबे का वैयक्तिक दिवाला (घोषणा और पुनर्वास) विधेयक, 2016

(6) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 46 और 94 का संशोधन)।

(7) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़ का छद्म विज्ञापन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016

(8) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़ का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अध्याय 11क का अंत:स्थापन)।

(9) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़ का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 243ट और 243यक का संशोधन)।

(10) श्री एडवोकेट जोएस जॉर्ज का अल्प भूस्वामी कृषक (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2016

(11) डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी का यौन कर्मी (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2016

(12) डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी का वर्षा जल (संचयन और संग्रहण) विधेयक, 2016

(13) श्री भैरों प्रसाद मिश्र का शिक्षा ऋण विधेयक, 2016

(14) श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2016

(15) डॉ० उदित राज का प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2016

(16) श्री पी०पी० चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 366 का संशोधन)।

(17) श्री पी०पी० चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 370 का संशोधन)।

(18) श्री दुष्यंत चौटाला का प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 6 का संशोधन)।

(19) श्री दुष्यंत चौटाला का सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 19 का संशोधन)।

(20) श्री जैदेव गल्ला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 340 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)।

(21) श्री दुष्यंत चौटाला का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 260 का संशोधन)।

(22) श्रीमती रमा देवी का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग निगम विधेयक, 2016

(23) श्रीमती रमा देवी का अभावग्रस्त और पिछड़ा क्षेत्र (विकास) विधेयक, 2016

(24) श्री राजेन्द्र अग्रवाल का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)।

(25) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन का कारागार (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 3 का संशोधन, आदि)।

(26) श्री राघव लखन पाल का महिलाओं को डायन बताकर उन्हें उत्पीड़ित करने की प्रथा का निवारण विधेयक, 2016

(27) डॉ॰ मनोज राजोरिया का गुमशुदा बालक (शीघ्र खोज और पुनर्मिलन) विधेयक, 2016

(28) डॉ॰ मनोज राजोरिया का शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा का अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना विधेयक, 2016

(29) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया का निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2016

(30) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

(31) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 1 का संशोधन)।

@16. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—पुर:स्थापित—*अस्वीकृत*

डॉ॰ शशि थरुर द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 377 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

डॉ॰ शशि थरुर द्वारा विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध हुआ।

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में 18; विपक्ष में 61

तद्नुसार विधेयक के पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान नहीं की गई।

अपराह्न 3.57 बजे

17. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन

विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014— राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री वैजयंत पांडा द्वारा विधेयक पर विचार के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री जगदम्बिका पाल (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)

(2) डॉ॰ शशि थरुर

@अपराह्न 3.45 बजे।

(3) श्री प्रहलाद सिंह

(4) श्री भर्तृहरि महताब

(5) श्री पी॰ पी॰ चौधरी

(6) श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

(7) श्री लखनलाल साहू

(8) श्री भैरों प्रसाद मिश्र

(9) श्री वीरेन्द्र कश्यप (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#सायं 7.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 14 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

अपराह्न 6.00 बजे से 7.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5014LS(S3)—11.03.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 14 मार्च, 2016/24 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 141

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री राहुल गांधी ने पूरे उत्तर भारत, विशेषकर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बेमौसमी बारिश और ओला-वृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को सहायता देने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

*श्री राधा मोहन सिंह ने भी उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—226 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 227—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

*अपराह्न 4.07 बजे

अपराह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2016-2017 के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2016-2017 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(11) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) 1 जून, 2015 से 13 जून, 2015 तक जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपने 104वें सत्र में अंगीकृत 'आईएलओ की नई सिफारिश संख्या 204(आर-204)' जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण के बारे में है, के अंगीकरण से संबंधित विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2016 जो 10 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 158(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2016 जो 14 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 24(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2016 जो 14 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 25(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) का॰आ॰ 444(अ) जो 10 फरवरी, 2016 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत स्थापित संबंधित बैंकों द्वारा तैयार की गई किसी स्कीम या नियम के अनुसार ऐसे कर्मचारियों से संबधित संशोधन के बारे में है, जो अभिदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों का हकदार नहीं है।

(15) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 443(अ) जो 10 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अपने सभी कर्मचारियों को 100 प्रतिशत श्रेणीगत (सीडेड) केवाईसी के साथ सार्वभौमिक खाता संख्या देने वाले नियोजकों के लिए प्रोत्साहन स्कीम के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए श्रम और नियोजन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए श्रम और नियोजन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(17) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए संरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) विनियम, 2016 जो 16 फरवरी 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ इंफ्रा/टी4एस/पी एण्ड पीपीपीएल/01/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2016 जो 12 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ पीएनजीआरबी/एम(सी)/110 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2015 जो 15 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ पीएनजीआरबी/सीजीडी/संशोधन/2015/2 में प्रकाशित हुए थे।

(18) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय, संवितरण का विनियमन तथा अनाचार का निवारण) संशोधन आदेश, 2015 जो 10 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 621(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क के लिए अभिगम संहिता) विनियमन अधिनियम, 2011 के

विनियम 2 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत जारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी नेटवर्क के लिए अभिगम संहिता संबंधी आदर्श अभिगम विन्यास मार्गनिर्देश, 2014 जो 28 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ पीएनजीआरबी/सीजीडी/संशोधन/2015/1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) केमिकल एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (केपोक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमिकल्स एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (केपोक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) का॰आ॰ 356(अ) जो 4 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में यथानिर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी मंचों पर अप्राधिकृत अधिक तम्बाकू का क्रय करने के लिए व्यापारियों/व्यवहारियों को स्वीकृति देने हेतु तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

(2) का॰आ॰ 357(अ) जो 4 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में तम्बाकू अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल किया गया है।

(29) (एक) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर ईओयू और एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर ईओयू और एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।

(34) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए नागर विमानन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2016-2017 के लिए संस्कृति मंत्रालय का परिणामी बजट ।

(52) (एक) बिहार महिला समाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार महिला समाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजोल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजोल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 7(अ) जो 5 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ मेसर्स संगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और मेसर्स तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन को अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 954(अ) जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(59) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिंदू युनिवर्सिटी), वाराणसी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिंदू युनिवर्सिटी), वाराणसी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिंदू युनिवर्सिटी), वाराणसी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाँधीनगर, गाँधीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाँधीनगर, गाँधीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाँधीनगर, गाँधीनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सुरथकल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सुरथकल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, कछार के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, कछार के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, कछार के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, वारंगल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, वारंगल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाम्बे, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अर्हताओं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर प्रगति स्कीम (सीएएस) आदि से संबंधित कतिपय मुद्दों/विषमताओं पर स्पष्टीकरण) (डिग्री/डिप्लोमा), 2016, जो 6 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 27/आरआईएफडी/वेतनमान/01/2013-14 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत योजना और वास्तुकला विद्यालय (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2015 जो 12 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 87(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राँची, राँची के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राँची, राँची के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) उपर्युक्त (97) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(100) उपर्युक्त (99) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(102) उपर्युक्त (101) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) उपर्युक्त (103) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलोर, बेंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलोर, बेंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) उपर्युक्त (105) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदौर, इंदौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) उपर्युक्त (107) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना, पटना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) उपर्युक्त (109) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) उपर्युक्त (111) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2014-2015

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(114) उपर्युक्त (113) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने पर हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) उपर्युक्त (115) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने पर हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(118) उपर्युक्त (117) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने पर हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(120) उपर्युक्त (119) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने पर हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(121) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(122) उपर्युक्त (121) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने पर हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(123) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(124) उपर्युक्त (123) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने पर हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 की धारा 49 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 75 जो 19 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो परिनियम संख्या 2, 10, 11, 16, 15 और 18 के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(126) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(127) उपर्युक्त (126) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(128) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(129) उपर्युक्त (128) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(130) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(131) उपर्युक्त (130) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(132) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(133) उपर्युक्त (132) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(134) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 4 जो 6 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

तथा जो केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम संख्या 2(4), 11, 13 और 41 का संशोधन करने तथा परिनियम 40 का निरसन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(135) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(136) उपर्युक्त (135) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(137) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(138) उपर्युक्त (137) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(139) (एक) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(140) उपर्युक्त (139) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(141) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(142) उपर्युक्त (141) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(143) योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत योजना और वास्तुकला विद्यालय (परिषद की बैठक और सदस्यों को भत्तों के संदाय की प्रक्रिया) नियम, 2015 जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 117(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(144) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(145) उपर्युक्त (144) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने 'लघु हाइड्रो क्षेत्र का विकास और स्थिति' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) खान मंत्री और इस्पात मंत्री ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की प्रगति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) मांग संख्या 13 के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 118वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(4) खान मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अुनदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.45 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओला वृष्टि से जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उनको संवितरित की जाने वाली राष्ट्रीय आपदा कोष की राशि का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संविधान की भावना के अनुरूप शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ उदित राज द्वारा दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में संशोधन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री लखन लाल साहू द्वारा सतनामी, सूर्यवंशी, रामनामी समुदाय के लोगों को विभिन्न सूचियों में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कौशल किशोर द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु वार्षिक आबंटन में वृद्धि किये जाने और संसद सदस्यों को उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु कार्यकारी शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती कृष्णा राज द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा देश के नगरों और कस्बों में नई आवासीय कॉलोनियों में पर्याप्त जल संचयन प्रणाली सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री प्रहलाद जोशी द्वारा कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन भवन का गिरने की जांच किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 12.45 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(10) श्री दिलीप गांधी द्वारा देश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री नाना पटोले द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की नए सिरे से गणना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सीवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैरवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सं॰ 15707/08 का ठहराव उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा प्रसिद्ध पर्यटन एवं तीर्थ स्थल, चित्रकूट के समस्त क्षेत्र में वाहनों के टॉल-मुक्त आवागमन को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा सेना में बुंदेलखण्ड रेजीमेण्ट स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री थांगसो बाइटे द्वारा मणिपुर में स्वायत्त जिला परिषदों को विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री रवनीत सिंह द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 95 पर लुधियाना-तलवंडी खंड को चार लेनों वाला बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री आर॰के॰ भारती मोहन द्वारा मलियादुतुरई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री आर॰ वनरोजा द्वारा चेन्नई और तिरुवन्नामलई तथा चेन्नई और तिरुपथुर के बीच रेल सेवाओं को पुन: आरंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री पापस पाल द्वारा पश्चिम बंगाल विशेषकर कृष्णानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धान और जूट की फसलों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) प्रो॰ सौगत राय द्वारा वायु सेना की युद्ध क्षमता को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह द्वारा कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखा प्रभावित लोगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा मुंबई एयरपोर्ट ऑथोरिटी की भूमि पर वर्तमान में बसी हुई झुग्गी-झोंपड़ियों के पुनर्वास हेतु उपयुक्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री एम॰ श्रीनिवास राव द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच संस्थानों के बंटवारे से संबंधित मुद्दे का समाधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड द्वारा तेलंगाना में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने हेतु किसानोन्मुख नीतियां अपनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा सीमावर्ती राज्यों को विशेष निधियां एवं प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.47 बजे

8. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति हुई

**भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक,* 2015

श्री रामविलास पासवान ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, ''छियासठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''सड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड एक

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में, ''2015'' अंक **के स्थान पर** ''2016'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* विधेयक 3 दिसम्बर, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा की सहमति के लिए भेजा गया। राज्य सभा ने 8 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में इस विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन लोक सभा को लौटा दिया।

श्री रामविलास पासवान ने यह प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 12.49 बजे

9. (एक) बजट (सामान्य)—2016-2017; (दो) लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)—2016-2017; और अनुदानों की अनुपूरक माँगें—2015-2016

लिया गया समय: 12 घंटे 43 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे संयुक्त चर्चा जारी रही:—

(एक) वर्ष 2016-17 के बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा।

(दो) वर्ष 2016-17 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की मांग सं॰ 1 से 30, 32, 34 से 56, 58 से 64, 66 से 68, 70, 71, और 73 से 98

(तीन) वर्ष 2015-2016 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग तीसरा बैच सं॰ 1 से 6, 9, 10, 12 से 16, 18 से 20, 23 से 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 53, 55 से 57, 59 से 64, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 80, 82 से 89, 91, 92, 94, 96, 99 से 101, 103 से 105 और 107, 108 और 109

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती पूनम महाजन

*2. श्री सुनील कुमार सिंह

*3. श्री रायपति सम्बासिवा राव

*4. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

*5. डॉ॰ किरीट सोमैया

*6. श्री श्यामाचरण गुप्त

*7. श्री नारणभाई काछड़िया

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

8. श्री तारिक अनवर

*9. श्री अर्का केशरी देव

*10. श्री वीरेन्द्र कश्यप

*11. श्री बी॰ एस॰ येदियुरप्पा

*12. श्री राहुल कस्वां

13. श्री संतोष सिंह चौधरी

*14. डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल

15. श्री वीरेन्द्र सिंह

*16. श्री रोड़मल नागर

17. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*18. श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर

*19. श्री राजेशभाई चुड़ासमा

20. श्री गणेश सिंह

*21. श्री मो॰ बदरूद्दोजा खान

*22. श्रीमती रमा देवी

23. श्री एम॰ चन्द्राकाशी

24. डॉ॰ भोला सिंह

*25. श्री जी॰ हरि

*26. श्री ए॰ अरूणमणिदेवन

*27. डॉ॰ के॰ कामराज

*28. श्रीमती आर॰ वनरोजा

*29. श्री के॰ अशोक कुमार

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*30. डॉ॰ (श्रीमती) ममताज संघमिता

31. डॉ॰ तपस मंडल

32. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

*33. श्री हरिओम सिंह राठौड़

34. श्री प्रेम सिंह चन्दू माजरा

35. डॉ॰ सत्यपाल सिंह

*36. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*37. श्री बी॰ विनोद कुमार

38. श्री निनोंग इरिंग

*39. डॉ॰ यशवंत सिंह

40. सुश्री साध्वी सावित्री बाई फुले

41. श्री राहुल शेवाले

*42. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

*43. श्री प्रहलाद वेंकेटेश जोशी

*44. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

*45. श्री विष्णु दयाल राम

46. श्री हरीश द्विवेदी

*47. श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली

*48. श्री पशुपति नाथ सिंह

49. श्री राम कुमार शर्मा

50. डॉ॰ उदित राज

*51. श्री सी॰ आर॰ चौधरी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*52. श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल

*53. श्रीमती कमला पाटले

54. श्रीमती अनुप्रिया पटेल

*55. डॉ॰ कुलमणि सामल

56. श्री राघव लखनपाल

57. श्री धमेन्द्र यादव

*58. श्री रामसिंह राठवा

*59. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

60. श्री चन्दूलाल साहू

*61. श्री श्रीरंग अप्पा बारणे

*62. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*63. श्री लडू किशोर स्वाईं

64. श्री एच॰डी॰ देवेगौडा

*65. श्री राजीव सातव

*66. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील

67. कुंवर भारतेन्द्र सिंह

*68. श्रीमती रीती पाठक

*69. श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज

*70. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी

71. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*72. श्री हरि मांझी

73. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

74. श्रीमती बुत्ता रेणुका

75. श्री केशव प्रसाद मौर्या

76. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

*77. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे

*78. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी

*79. श्री राममोहन नायडू किंजरापु

*80. श्री डी॰के॰ सुरेश

*81. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

82. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी

*83. श्री नाना पटोले

*84. कुमारी शोभा कारान्दलाजे

85. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

*86. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

87. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*88. श्री राम टहल चौधरी

89. श्री धर्मवीर सिंह

90. डॉ॰ अपरूपा पोद्दार

*91. श्री लखन लाल साहू

*92. श्री रमेश चन्द्र कौशिक

*93. श्री विद्युत वरण महतो

*94. श्री संजय धोत्रे

95. श्री गोपाल शेट्टी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

96. श्री एंटो एन्टोनी

*97. श्री ओम बिरला

*98. श्री पी पी चौधरी

*99. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण

*100. श्री रामचरण बोहरा

101. श्रीमती प्रियंका सिंह रावत

102. श्री दुष्यंत सिंह चौटाला

*103. श्रीमती पूनमबेन माडम

104. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा

105. श्री नेफिउ रिओ

*106. श्री एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर

*107. श्री देवेन्द्र सिंह *(उर्फ)* भोले सिंह

*108. श्री नलीन कुमार कटील

109. श्री टी॰ राधाकृष्णन

110. श्री असादुद्दीन ओवैसी

*111. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह

112. श्रीमती संतोष अहलावत

*113. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

*114. श्रीमती प्रतिमा मंडल

115. श्री एन॰ क्रिष्टप्पा

*116. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

*117. डॉ॰ मनोज रजोरिया

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

118. श्री भगवंत मान

*119. श्री शरद त्रिपाठी

*120. डॉ॰ जयकुमार जयवर्धन

*121. श्री जगदम्बिका पाल

122. श्री प्रेमदास राय

*123. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

124. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

125. श्री राजू शेट्टी *उर्फ* देवप्पा अन्ना

*126. श्री ए॰टी॰ (नाना) पाटील

127. श्री राजेश रंजन कुशवाहा (पप्पू यादव)

*128. श्री रविन्द्र कुशवाहा

129. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा

*130. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

*131. श्री जुगल किशोर शर्मा

*132. प्रो॰ चिन्तामणि मालवीय

*133. श्री पी॰आर॰ सुन्द्रम

*134. डॉ॰ थोकचोम मेन्या

*135. श्री भैरव प्रसाद मिश्र

*136. प्रो॰ रिचर्ड हे

*137. श्री अजय मिश्रा (टेनी)

*138. श्री सुशील कुमार सिंह

*139. श्री बोध सिंह भगत

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*140. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

*141. डॉ॰ ए॰ सम्पत

*142. श्रीमती रक्षाताई खाडसे

*143. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*144. श्री अजय टम्टा

*145. श्री अश्विनी कुमार चौबे

श्री अरूण जेटली ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

वर्ष 2016-2017 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 30, 32, 34 से 56, 58 से 64, 66 से 68, 70, 71 और 73 से 98, वर्ष 2016-2017 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 6, 9, 10, 12 से 16, 18 से 20, 23 से 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 53, 55 से 57, 59 से 64, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 80, 82 से 89, 91, 92, 94, 96, 99 से 101, 103 से 105 और 107, 108 और 109, वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य)—तीसरा बैच की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016

11. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016

श्री अरूण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग विधेयक, 2016

13. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग विधेयक, 2016

श्री अरूण जेटली द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव श्री अरूण जेटली द्वारा पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.04 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 15 *मार्च*, 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—5094LS(S3)—14-03-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 15 मार्च, 2016/25 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 142

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241, 242, 243 (246 के साथ सम्मिलित) और 244 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 245 और 247—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-I)।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए गृह मंत्रालय (विधानमंडल रहित संघ-राज्यक्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-II)।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए गृह मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) वर्ष 2016-2017 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(4) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) चीनी उप-कर अधिनियम, 1982 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 258(अ) जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के प्रयोजनार्थ भारत के किसी भी चीनी कारखाने में विनिर्मित सभी चीनी पर प्रति क्विंटल 124 रु॰ की दर से उप-कर का उदग्रहण और संग्रहण किया जाएगा।

(दो) का॰आ॰ 259(अ) जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 फरवरी, 2016 को चीनी उप-कर अधिनियम, 1982 के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है।

(7) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2016 जो 13 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 23(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का परिणामी बजट।

(9) वर्ष 2016-2017 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) वर्ष 2016-2017 के लिए आयुष मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) वर्ष 2016-2017 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार आईलैंड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) सेंटर फॉर एनवायरन्मेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर एनवायरन्मेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सी॰पी॰आर॰ एनवायरन्मेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी॰पी॰आर॰ एनवायरन्मेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) वर्ष 2016-2017 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, संभलाई और सीमा-पार संचलन) संशोधन नियम, 2016 जो 20 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और संभलाई) संशोधन नियम, 2015 जो 13 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 745(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(24) वर्ष 2016-2017 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) दमन और दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 123 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दमन और दीव ग्राम पंचायत के उप-सरपंच तथा जिला पंचायत के प्रेसिडेंट और वाइस-प्रेसिडेंट का निर्वाचन नियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 20 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दमन और दीव जिला पंचायत (बैठक) नियम, 2013 जो 26 जुलाई, 2013 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28 में प्रकाशित हुए थे।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3520(अ) जो 28 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ सिटी सिविल तथा सत्र न्यायालय, बाम्बे को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 398(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ श्री विजय वेंकटराव पाटील, सिटी और अपर सत्र न्यायाधीश ग्रेटर बाम्बे द्वारा पीठासीन सिटी सिविल तथा अपर सत्र न्यायाधीश ग्रेटर बाम्बे को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 399(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम/आतंकवादी क्रियाकलापों का निवारण अधिनियम (टाडा/पोटा) के अंतर्गत पदाविहित जम्मू और श्रीनगर के न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 400(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत जिला और सत्र न्यायाधीश, मणिपुर ईस्ट इम्फाल को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 149(अ) जो 16 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(छह) का॰आ॰ 3521(अ) जो 28 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संचालन के लिए अपर सत्र न्यायाधीश-01, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय में अपर न्यायाधीश अर्थात् जिला न्यायाधीश-चार-सह प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस कार्ट, नई दिल्ली के रूप में नियुक्त किया गया है।

(सात) का॰आ॰ 3522(अ) जो 28 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2874(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(28) वर्ष 2016-2017 के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2016-2017 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि विजुअली हैण्डिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि विजुअली हैण्डिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि मेंटली हैण्डिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि मेंटली हैण्डिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि हियरिंग हैण्डिकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि हियरिंग हैण्डिकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजिम के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजिम का वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखपरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) वेस्ट बंगाल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) वेस्ट बंगाल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(39) उपर्युक्त (38) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) वर्ष 2016-2017 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) पशुओं में संक्रामक और सासंर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 की धारा 42 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 156 (अ) जो 19 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 14 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 974(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2016 जो 15 फरवरी 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा॰का॰नि॰ 164(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 9 मार्च, 2016 को पारित विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2016 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 9 मार्च, 2016 को पारित विनियोग (रेल) विधेयक, 2016 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया ने विशेषाधिकार समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी ने "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2014" के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(2) 'अर्बन हाटों की समीक्षा' के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अरविंद सावंत ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का कार्यकरण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 10वां प्रतिवेदन।

(2) 'इथनॉल मिश्रित पेट्रोल और बायो-डीजल नीति' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

9. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰पी॰ चौधरी ने 'अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधियों या करारों को तैयार करने/उनका अनुमोदन करने में विधि और न्याय मंत्रालय की भूमिका' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 81वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य दिए:—

(1) 'नागा समझौता' के बारे में श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 846 (केवल हिन्दी संस्करण) के संबंध में 1.3.2016 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला;

(2) 'शत्रु संपत्ति' के बारे में श्री वेंकटेश बाबू टी॰जी॰, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1639 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के संबंध में 8.3.2016 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला।

11. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री प्रकाश जावडेकर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

12. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

रेल (संशोधन) विधेयक, 2014

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

#*(एक) प्रादेशिक जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक,* 2016

$*(दो) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक,* 2016

*अपराह्न 12.07 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सर्वश्री मोहम्म्द सलीम, एस॰एस॰ अहलूवालिया, अधीर रंजन चौधरी और प्रो॰ सौगत राय ने समाचार एजेंसी द्वारा राजनेताओं और उच्च अधिकारियों को कैमरे पर घूस लेते हुए कथित रूप से दिखाए जाने के बारे में निवेदन किया।

प्रो॰ सौगत राय ने भी निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वैंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.16 बजे

(दो) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में निवेदन किया।

श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.18 बजे

(तीन) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के

अपराह्न 2.43बजे

$ अपराह्न 2.44 बजे

* अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.37 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

उपबंधों को लागू न किए जाने के कारण आंध्र प्रदेश की जनता के साथ हो रहे अन्याय के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वैंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.37 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षापीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा उत्तराखण्ड में आयुष का शोध संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के गौंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वनवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री नाराणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात में राजुला जाफराबाद से सटे समुद्र में मत्स्यन नौकाओं की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा बीपीएल और अंत्योदय परिवारों की नई सूची तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार में मुंगेर–बेगूसराय रेल–सह–सड़क पुल के निर्माण के लिए जिन परिवारों की भूमि अधिगृहित की गई थी, उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हरीश मीणा द्वारा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रिंग रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रिचर्ड हे द्वारा केरल के वरकला में श्री नारायण गुरु की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) प्रो॰ चिंतामणि मालवीय द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन शोध केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सत्यपाल सिंह द्वारा सिंथेटिक मैंथॉल के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती रमा देवी द्वारा गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा लद्दाख क्षेत्र में भारतीय संचार निगम लिमिटेड की सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गया-मुगलसराय रेल खंड के अंतर्गत समपार सं॰ 1 पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा भारत-म्यांमार सीमा विवाद का स्थायी निदान ढूंढे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा केरल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा मालाबार कैंसर केंद्र, तेलीचेरी को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ के॰ गोपाल द्वारा शिक्षा ऋण संवितरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एम॰ चंद्रकाशी द्वारा तमिलनाडु के चिदंबरम में आयुर्वेद और योग संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ तापस मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल में इच्छामति नदी से गाद निकाले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल में चाय बागान के कामगारों की पीड़ा को कम किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री बैजयंत 'जे' पांडा द्वारा राज्य में उड़ीसा जल विद्युत निगम लिमिटेड के संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री अरविंद सावंत द्वारा विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे एसटीडी/पीसीओ बूथों को बहुउद्देशीय विक्रेता बूथ में परिवर्तित किए जाने हेतु अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाए जाने हेतु वन संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी द्वारा महबूबनगर और कुरनूल जिलों में हीरे के अवैध व्यापार को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री शैलेश कुमार *उर्फ* बुलो मण्डल द्वारा बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लैलख रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर एक समपार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में समागार के निर्माण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.38 बजे

16. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति हुई

**राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक,* 2015

श्री नितिन गडकरी की ओर से श्री पी॰ राधाकृष्णन ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, ''छियासठवें'' शब्द ***के स्थान पर*** ''सड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

---

* विधेयक 21 दिसम्बर, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा की सहमति के लिए भेजा गया। राज्य सभा ने 9 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में इस विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 10 मार्च, 2016 को लोक सभा को लौटा दिया।

खंड एक

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3, में ''2015'' अंक ***के स्थान पर*** ''2016'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड चार

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 12, में ''2015'' अंक ***के स्थान पर*** ''2016'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ राधाकृष्णन द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 12.40 बजे

17. सरकारी विधेयक—पारित

भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2016, *राज्य सभा द्वारा यथापारित।*

लिया गया समय: 3 घंटे 29 मिनट

श्री एम॰ वेंकैया नायडू द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल

(लोक सभा अपराह्न 1.30 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.35 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.35 बजे

2. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
3. श्री आर॰पी॰ मरूदराजा
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव
6. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
7. श्री एम॰ मुरलीमोहन

8. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड

9. डॉ॰ ए॰ संपत

10. डॉ॰ वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली

11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

12. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

13. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

14. श्री कौशलेन्द्र कुमार

15. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

16. श्री प्रेम दास राई

17. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

18. श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज

19. श्री एम॰ के॰ राघवन

20. श्रीमती पूनमबेन माडम

21. श्री राहुल शैवाले

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने वाद–विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12 स्वीकृत हुआ।

खंड 13 और 18 स्वीकृत हुए।

खंड 19 से 26 स्वीकृत हुए।

खंड 27 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32 और 33 स्वीकृत हुए।

खंड 34 से 42 स्वीकृत हुए।

खंड 43 स्वीकृत हआ।

खंड 45 से 49 स्वीकृत हुए।

खंड 50 से 92 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.14 बजे

18. सरकारी विधेयक—पारित

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 2 घंटा 57 मिनट

श्री थावर चंद गहलोत द्वारा विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा

(2) श्री वीरेन्द्र कश्यप

(3) श्री गोपालकृष्णन चिन्नाराज

(4) श्रीमती प्रतिमा मंडल

(5) श्री लड्डू किशोर स्वाइं

(6) श्री सदाशिव किशन लोखंडे

(7) डॉ॰ रवीन्द्र बाबू पंडूला

(8) डॉ॰ ए॰ संपत

(9) डॉ॰ वाराप्रसादराव वेलगापल्ली

(10) श्री जय प्रकाश नारायण यादव

(11) श्री शेर सिंह गुबाया

(12) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

(13) श्री रत्न लाल कटारिया

(14) श्री आर॰ ध्रुवनारायण

(15) श्री कौशलेन्द्र कुमार

(16) श्री प्रेम दास राई

(17) डॉ॰ मनोज रजोरिया

(18) श्री वीरेन्द्र सिंह

(19) श्रीमती कमला देवी पाटले

(20) डॉ॰ उदित राज

(21) श्री बलका सुमन

(22) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

(23) श्री रवीन्द्र कुशवाहा

(24) श्री छोटेलाल

(25) श्री लक्ष्मी नारायण यादव

(26) श्री धर्मेन्द्र यादव

(27) सुश्री साध्वी सावित्री बाई फूले

(28) श्री अजय मिश्रा (टेनी)

श्री थावर चंद गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री थावर चंद गहलोत द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#19. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

@रात्रि 9.58 बजे

(लोक सभा बुधवार, 16 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

सायं 6.36 बजे

@ रात्रि 8.13 बजे से रात्रि 9.58 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5133LS(S3)—15-03-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 (शक)

संख्या 143

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने नौवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री रामस्वरूप प्रसाद के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—266 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 267—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए शहरी विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2016-2017 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए रक्षा सेवाएं प्राक्कलन की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय का परिणामी बजट।

(4) वर्ष 2016-2017 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय के परिणामी बजट की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2016-2017 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(पांच) वर्ष 2016-2017 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(8) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजीटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) (संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 4) जो 25 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 16-2/2012-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार (ब्रॉडकास्टिंग एण्ड केबल सर्विसेज) अंतरसंपर्क (नौवां संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 6) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 6-30/2015-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरसंचार (ब्रॉडकास्टिंग एण्ड केबल सर्विसेज) अंतरसंपर्क (डिजीटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) (पाँचवां संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 7) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 6-29/2015-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दूरसंचार (ब्रॉडकास्टिंग एण्ड केबल सर्विसेज) अंतरसंपर्क (डिजीटल

एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) (छठा संशोधन) विनियम, 2016 (2016 का 1) जो 7 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 3-106/2015-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(9) (एक) जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पटना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पटना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऋषिकेश के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टि्टयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऋषिकेश के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (8वां संशोधन) नियम, 2015 जो 30 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 918(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।

(25) वर्ष 2016-2017 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) वर्ष 2016-2017 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) वर्ष 2016-2017 के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए वस्त्र मंत्रालय का परिणामी बजट।

(29) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत जूट और जूट टेक्सटाइल्स नियंत्रण आदेश, 2016 जो 5 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 382(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2016 जो 29 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 130(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) वर्ष 2016-2017 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3552(अ) जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) वर्ष 2016-2017 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 654(अ) जो 2 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 4 के उप-नियम (3), (4), (5) नियम 5, 7, 10 और 12 के अंतर्गत कोयला नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खानों या ब्लॉकों को छोड़कर सभी कोयला खानों के संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों या उनके द्वारा अधिसूचना के माध्यम यथाप्राधिकृत ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(36) वर्ष 2016-2017 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 365(अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है।

(दो) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 7 मई 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 366(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(38) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ें

(क) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(39) उपर्युक्त (38) की मद संख्या (क) से (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) वर्ष 2016-2017 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए इस्पात मंत्रालय का परिणामी बजट।

(46) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(चार) वर्ष 2016-2017 के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(51) (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बीमा (अधिनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच कराने की प्रक्रिया) नियम, 2016 जो 17 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील) नियम, 2016 जो 17 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(53) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2016 जो 15 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 165(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 15 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 166(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(54) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 186(अ) जो 22 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 51/2015-सी॰शु॰ (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(55) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 205(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया पर सीवीडी से उतनी छूट प्रदान करने के लिए है, जो उक्त मीडिया पर अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के उस मूल्य के समतुल्य है, जिस पर वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन सेवा कर उदग्रहणीय है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 206(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 207(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 171/93-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 208(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा॰का॰नि॰ 209(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 210(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 211(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 25/1999-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 212(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 25/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 213(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 214(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 230/86-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 215(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 42/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 216(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 81/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 217(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 72/1994-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) बैगेज नियम, 2016 जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 218(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सीमा-शुल्क बैगेज की घोषणा (संशोधन) नियम, 2016 जो 1 मार्च 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 219(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सीमा-शुल्क (उत्पाद शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दरों पर माल का आयात) नियम, 2016 जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 220(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 221(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 17/2011-सी॰शु॰, (एन॰टी॰) का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(56) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 222(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बजटीय परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिए उसमें उल्लिखित क्षेत्र आधारित छूटों से संबंधित अधिसूचनाओं का संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 223(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बजटीय परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिए उसमें उल्लिखित क्षेत्र आधारित छूटों से संबंधित अधिसूचनाओं का संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 224(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 7/2012–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 225(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 8/2003–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 226(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 227(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 2/2011–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 228(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से उतनी छूट प्रदान करना है, जो उक्त मीडिया पर अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के उस मूल्य के समतुल्य है, जिस पर वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन सेवा कर उदग्रहणीय है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 229(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 230(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 62/91-के॰उ॰शु॰ को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 231(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 33/2005-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 232(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 233(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/2010-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 234(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 42/2008-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 235(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 6/2005-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 236(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आभूषणों के विनिर्माताओं के लिए केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सौलह) सा॰का॰नि॰ 237(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 238(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 9/2012-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2016 जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 239(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 240(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) चर्वण तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 241(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 242(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 20/2001-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 243(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सेनवेट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 244(अ) प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 245(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या

27/2012-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 246(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 5/2011-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 247(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 42/2001-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ 248(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या 31/2007-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 249(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 19/2004-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्तीस) सा॰का॰नि॰ 250(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य और अन्य सामग्री के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर सामग्री को हटाया जाना) नियम, 2016 जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 251(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा॰का॰नि॰ 252(अ) जो 01 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना

संख्या 21/2004-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(57) वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 253(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 1/2015-स्वच्छ ऊर्जा उपकर को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 254(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 5/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(58) वित्त विधेयक, 2016, के खंड 159 के उपखंड (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 255(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट माल पर अवसंरचना उपकर की प्रभावी दर का उपबंध करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(59) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 256(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 257(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) कराधान बिन्दु (संशोधन) नियम, 2016 जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 258(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 259(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आरएसपी से युक्त किसी मीडिया पर अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के संबंध में सेवाओं को छूट प्रदान करना है, जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया हो एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 260(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 32/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 261(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अंतर्गत ब्याज दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 262(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या 8/2006-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 263(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 107 के उपखंड (ज) के उपबंधों को प्रभावी बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 264(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 07/2015-सेवाकर के कतिपय उपबंधों को प्रभावी बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 265(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 05/2015-सेवाकर के कतिपय उपबंधों को प्रभावी बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 266(अ) जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2016 जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 267(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(60) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(61) कैलेंडर वर्ष 2015 के दौरान 5 प्रतिशत वैवेकिक कोटा के अंतर्गत किए गए वैवेकिक आवंटनों के वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) वर्ष 2016-2017 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(63) वर्ष 2016-2017 के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

%(एक) कि 16 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने सिक्ख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया।

$(दो) कि 16 मार्च, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2016 को

---

* अपराह्न 5.59 बजे।

% अपराह्न 3.07 बजे।

$ सायं 7.28 बजे।

संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।

%6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया।

सिक्ख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016

$7. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया।

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2016

8. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतम शिक्षा विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 29वां प्रतिवेदन।

(4) विदेश मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

9. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2015-2016) का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

% अपराह्न 3.07 बजे।

$सायं 7.28 बजे।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने 'राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)प्रस्तुत किया।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 'प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन' विषय पर समिति (15वीं लोक सभा) के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

12. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती संतोष अहलावत ने मानव संसाधन विकास संबंधित स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2015-2016 (मांग संख्या 60) के बारे में 265वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 274वां प्रतिवेदन।

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2015-2016 (मांग संख्या 108) के बारे में 268वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 275वां प्रतिवेदन।

13. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ ए॰ सम्पत ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 75वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तरों के बारे में 82वां प्रतिवेदन।

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 76वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तरों के बारे में 83वां प्रतिवेदन।

14. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव — समय का बढ़ाया जाना

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय संसद के मानसून सत्र 2016 के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे।

15. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 15 मार्च, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

@अपराह्न 12.12 बजे

16. सदस्यों द्वारा निवेदन

सर्वश्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, के॰सी॰ वेणुगोपाल और रमेश विधुड़ी ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में गणित के प्रश्न-पत्र के स्तर के संबंध में और प्रश्न-पत्र के कथित रूप से लीक होने के बारे में भी निवेदन किया।

सर्वश्री ए॰ संपत, पी॰के॰ श्रीमथि टीचर, भैरों प्रसाद मिश्र, भगत सिंह कोश्यारी, राजेश रंजन, रवीन्द्र कुमार जेना, भानुप्रसाद मिश्र, देवजी एम॰ पटेल, अजय मिश्रा, महेश गिरी, प्रवेश साहिब सिंह, मीनाक्षी लेखी, शरद त्रिपाठी, जगदंबिका पाल और पुष्पेन्द्र सिंह सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वैंकेय्या नायडू ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.53 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री जर्नादन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा बिहार के छपरा (सारण जिला) से चकिया (पूर्व चम्पारण जिला) तक नई रेललाइन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में पर्याप्त संख्या में इंदिरा आवास ईकाइयों को स्वीकृत किए जाने तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य को मिलने वाली शेष धनराशि को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा देश में अर्द्धसैनिक बलों को दिए जाने वाले भोजन में पौष्टिक खाद्य पदार्थों विशेषकर खजूर को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा किसान काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

@ अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 12.52 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्री रामदास तडस द्वारा वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेमौसमी बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने तथा प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती रेखा अरुण वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर से शाहजहांपुर-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन संख्या 54075/76 को चलाए जाने की आवश्यकता के बारे।

(8) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के गोइलकेला से मनोहरपुर तक रेललाइन के निर्माण के दौरान अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/एजेंसियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू और कश्मीर के जम्मू में तवी नदी के किनारों का विकास किए जाने हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई सबअर्बन रेलवे जोन में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु एक कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बोकारो जिले में चास से रामगढ़ तक निर्धारित मानकों के अनुसार सड़क निर्माण का कार्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात के हजीरा में कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राजीव सातव द्वारा सरकारी तेल कम्पनियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा स्वर्ण एवं हीरा आभूषणों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एस॰आर॰ विजय कुमार द्वारा नरीकुरावर समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री टी॰ राधाकृष्णन द्वारा चीन मे बने आतिशबाजी के सामान के अवैध आयात पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा बैंडल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक फ्लाइओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री अर्का केशरी देव द्वारा कालाहांडी के जिला मुख्यालय भवानीपटना में एक सी॰आर॰पी॰एफ॰ एकक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा नदियों को साफ करने वाली परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और इच्छापुरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 को छह लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(24) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 पर कुम्हरी तथा जिराईन नदियों पर पुलों का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित पर्यावरण संबंधी प्रयासों के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.54 बजे

18. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 4 घंटे 01 मिनट

श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव ने देश के पठानकोट एयरबेस में हाल में हुए आतंकी हमले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा उठाई।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.14 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.18 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.18 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:–

(1) श्री निशिकांत दुबे
(2) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया
(3) श्री एस॰ राजेन्द्रन
(4) प्रो॰ सौगत राय
(5) श्री चन्द्रकांत खैरे
(6) श्री नरसिम्हन थोटा
(7) श्री मोहम्मद सलीम
(8) श्रीमती कविता कलवकुंतला
(9) डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
(10) श्री धर्मेन्द्र यादव
(11) श्री अश्विनी कुमार
(12) श्री जयप्रकाश नारायण यादव
(13) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
(14) श्री दुष्यंत चौटाला
(15) श्री कौशलेन्द्र कुमार
(16) श्री असादुद्दीन ओवैसी
(17) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
(18) श्री हरीश चन्द्र मीना
(19) श्री जॉर्ज बेकर

श्री मनोहर पर्रिकर ने चर्चा में हस्तक्षेप किया।

श्री राजनाथ सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

***19. सरकार विधेयक—पुर:स्थापित**

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016

---

* अपराह्न 4.33 बजे।

सायं 6.00 बजे

20. सरकारी विधेयक—पारित

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

लिया गया समय: 1 घंटा 37 मिनट

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:–

(1) श्री विनसेंट एच॰ पाला

(2) श्री हुकुम सिंह

(3) श्री भर्तृहरि महताब

(4) श्री नरसिम्हन थोटा

(5) डॉ॰ ए॰ संपत

(6) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

(7) डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

(8) श्री गणेश सिंह

(9) श्री हरिओम सिंह राठौड़

(10) श्री पी॰पी॰ चौधरी

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.38 बजे

21. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—अस्वीकृत

लिया गया समय: 41 मिनट

**आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक,* 2016

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

खंड 3

1. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 20 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित** किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी आधार संख्या को आगे धारित करते रहने की इच्छा नहीं रखता है और यदि वह चाहे तो ऐसे व्यक्ति को केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार से अपनी संख्या हटवाने का अधिकार एवं अनुमति होगी। इस प्रकार अपनी आधार संख्या हटवाने पर उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना सहित उससे संबंधित सभी आंकड़े तथा उसके अधिप्रमाणन संबंधी अभिलेख अविलंब नष्ट कर दिए जाएंगे और ऐसा अनुरोध किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर प्राधिकरण द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा''।

खंड 7

2. कि पृष्ठ 5, पंक्ति 9 से 11 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यदि किसी व्यष्टि को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है अथवा यदि कोई व्यक्ति नामांकन का विकल्प नहीं चुनता है तो उस व्यष्टि को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान के साधनों का प्रस्ताव दिया जाएगा''।

खंड 33

3. कि पृष्ठ 14, पंक्ति 35, में 'राष्ट्रीय सुरक्षा' शब्दों **के स्थान पर** ''सार्वजनिक आपात काल में अथवा जनसुरक्षा'' शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएं।

---

* यह विधेयक 11 मार्च, 2016 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और उसी दिन राज्य सभा की सहमति के लिए भेजा गया। राज्य सभा ने इस विधेयक को संशोधनों के साथ लौटा दिया जिसे आज लोक सभा के पटल पर रखा गया।

खंड 33

4. कि पृष्ठ 14, पंक्ति 37 तथा पृष्ठ 15, पंक्ति 1 और 2 में, ''विधि कार्य विभाग और इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और सचिवों'' शब्दों **के स्थान पर** ''केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अथवा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और विधायी कार्य विभाग तथा इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिवों'' शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएं।

खंड 57

5. कि पृष्ठ 21 पर खंड 57 को **हटा दिया** जाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस

(2) श्री तथागत सत्पथी

(3) श्री मोहम्मद सलीम

(4) श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को अस्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधन अस्वीकृत हुए।

रात्रि 8.19 बजे

(*लोक सभा सोमवार,* 25 *अप्रैल,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

मंगलवार, 15 मार्च, 2016 के
समाचार-भाग 1
संख्या 142
का शुद्धिपत्र

1. पृष्ठ 15, क्रमांक (27) **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** करें:—

(28) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पहलवानों के लिए स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(29) श्री राजू शेट्टी द्वारा प्रख्यात ओलंपिक पहलवान के॰डी॰ जाधव को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

GMGIPMRND—5251LS—16.03.2016.